भारत इलेक्ट्रॉनिक्स
BHARAT ELECTRONICS
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम, रक्षा मंत्रालय)
पंजीकृत कार्यालय :
आउटर रिंग रोड, नागवारा, बेंगलूर - 560 045, भारत
Bharat Electronics Limited
(Govt. of India Enterprise, Ministry of Defence)
Registered Office : Outer Ring Road,
Nagavara, Bangalore - 560 045, INDIA.
CIN : L32309KA1954GOI000787
टेलीफैक्स/Telefax : +91 (80) 25039266
ई-मेल/E-mail : secretary@bel.co.in
वेब/Web : www.bel-india.com

To,
National Stock Exchange of India Ltd.,
Exchange Plaza, Plot No. C/1,G Block,
Bandra-Kurla Complex, Bandra (E)
Mumbai – 400 051

No. 17565/6/SE/NSEC/SEC
22 August 2017

Dear Sir/Madam,

Subject: Notice of 63rd Annual General Meeting.

Please find enclosed herewith Notice of 63rd Annual General Meeting of the Company Scheduled to be held on 20th September 2017.

This is for your information.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Bharat Electronics Ltd.

S Sreenivas
Company Secretary

Encl: As stated above

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
BHARAT ELECTRONICS LIMITED

(भारत सरकार का उद्यम)
(A Government of India Enterprise)

पंजीकृत व कार्पोरेट कार्यालय - आउटर रिंग रोड, नागवारा, बेंगलूरु - 560 045
Registered & Corporate Office : Outer Ring Road, Nagavara, Bengaluru - 560 045, CIN : L32309KA1954GOI000787

सूचना / N O T I C E

प्रति

सभी सदस्य

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के सदस्यों की 63वीं वार्षिक सामान्य बैठक बुधवार, दिनांक 20 सितंबर, 2017 को अपराह्न 3.30 बजे दि कलिंगा हॉल, होटल ललित अशोक, कुमार कृपा हाई ग्राउंड्स, बेंगलूरु - 560 001 में निम्नलिखित कार्य संचालन हेतु आयोजित की जाएगी -

सामान्य कारोबार

1. (क) 31 मार्च 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए संबद्ध कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण तथा उसमें निदेशक मंडल एवं लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों पर विचार करने और उसकी स्वीकृति हेतु ।

   (ख) 31 मार्च 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष से संबद्ध कंपनी के लेखा परीक्षित समेकित वित्तीय विवरण तथा उन पर लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदनों पर विचार करने और उसकी स्वीकृति हेतु ।

2. फरवरी 2017 एवं मार्च 2017 में प्रदत्त किए जा चुके ₹ 3/- (अंकित मूल्य ₹ 10/- प्रति शेयर) व ₹ 0.90/- प्रति ईक्विटी शेयर (अंकित मूल्य ₹ 1/-) का अंतरिम लाभांश संपुष्ट करने तथा ₹ 1.05/- प्रति ईक्विटी शेयर (अंकित मूल्य ₹ 1/-) पर अंतिम लाभांश की घोषणा हेतु।

3. श्री नटराज कृष्णप्पा (डीआईएन - 07506012), के स्थान पर एक निदेशक नियुक्त करने हेतु, जो पुनरावर्तन से सेवानिवृत्त हो रहे हैं तथा इस पद के लिए योग्य होने पर स्वयं पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्ताव दिया जाता है ।

विशेष कारोबार

4. **निदेशक के रूप में सुश्री आनंदी रामलिंगम की नियुक्ति**

   निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधन (संशोधनों) के साथ या उनके बिना, **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करने हेतु -

   "संकल्प किया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के संदर्भ में सुश्री आनंदी रामलिंगम (डीआईएन-07616518), जिन्हें कंपनी की इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पदधारित करने के लिए कंपनी अधिनियम 2013, की धारा 152 एवं अन्य प्रयोज्य प्रावधान, यदि कोई हो, तथा नियम के अधीन भारत सरकार के रक्षा

TO

ALL MEMBERS

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the 63rd Annual General Meeting of the Members of Bharat Electronics Limited will be held on Wednesday, 20 September 2017, at 03 :30 p.m. at The Kalinga Hall, Hotel Lalit Ashok, Kumara Krupa High Grounds, Bengaluru - 560 001 to transact the following business :

ORDINARY BUSINESS

1. (a) To consider and adopt the audited financial statement of the Company for the financial year ended on 31 March 2017 and the Reports of the Board of Directors and Auditors thereon.

   (b) To consider and adopt the Audited consolidated financial statement of the Company for the financial year ended on 31 March 2017 and the reports of Auditors thereon.

2. To confirm the Interim Dividend of ₹ 3/- (₹ 10/- Face value per share) and ₹ 0.90 per equity share (Face value of ₹ 1/-) already paid in February 2017 & March 2017 respectively and to declare Final Dividend of ₹ 1.05/- per Equity Share (Face value of ₹ 1/-).

3. To appoint a Director in place of Mr Nataraj Krishnappa (DIN: 07506012), who retires by rotation and being eligible, offers himself for re-appointment.

SPECIAL BUSINESS

4. **Appointment of Mrs Anandi Ramalingam as Director**

   To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution as an **Ordinary Resolution :**

   "RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 152 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder Mrs Anandi Ramalingam (DIN: 07616518), who was appointed as the Director (Marketing), by the Govt. of India vide Ministry of Defence letter No.19/7/2015-D(BEL)

मंत्रालय का पत्र सं. 19/7/2015/नि(बीईएल) दिनांक 15 सितंबर 2016 द्वारा निदेशक (विपणन) और दिनांक 16 सितंबर 2016 से प्रभावी करते हुए अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और निदेशक (विपणन) के रूप में पदनामित किया गया है तथा सुश्री आनंदी रामलिंगम (डीआईएन-07616518) की कंपनी निदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए कंपनी ने एक सदस्य से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के अधीन, लिखित में सूचना प्राप्त हुई है, वे भारत सरकार द्वारा निर्धारित निबंधन एवं शर्तों के अनुसार पर पुनरावर्तन द्वारा सेवानिवृत्त होंगी ।"

dated 15 September 2016 and subsequently appointed as an Additional Director and designated as Director (Marketing) by the Board of Directors with effect from 16 September 2016 to hold office until the date of this Annual General Meeting, in terms of Section 161 of the Companies Act, 2013, and in respect of whom the Company has received a notice in writing from a member under Section 160 of the Companies Act, 2013 signifying her intention to propose Mrs Anandi Ramalingam (DIN: 07616518), as a candidate for the office of a Director of the Company, be and is hereby appointed as Director of the Company, liable to retire by rotation, on terms & Conditions as stipulated by the Government of India".

5. **निदेशक के रूप में श्री एम वी गौतमा की नियुक्ति**

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधन (संशोधनों) के साथ या उनके बिना, **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करने हेतु -

"संकल्प किया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के संदर्भ में श्री एम वी गौतमा (डीआईएन-07628039), जिन्हें कंपनी की इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक नियुक्त करने के लिए कंपनी अधिनियम 2013, की धारा 152 तथा अन्य प्रयोज्य प्रावधान, यदि कोई हो, तो उस नियम के अधीन भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय का पत्र सं. 19(8)/2015/नि(बीईएल) दिनांक 8 नवंबर 2016 द्वारा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा दिनांक 8 नवंबर 2016 से प्रभावी होते हुए अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में पदधारित किया गया तथा श्री एम वी गौतमा (डीआईएन-07628039) को कंपनी के निदेशक के पद पर नियुक्ति के प्रस्ताव के साथ कंपनी के एक सदस्य द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के अधीन, लिखित सूचना प्राप्त हुई है, तथा वे भारत सरकार द्वारा निर्धारित निबंधन एवं शर्तों पर पुनरावर्तन द्वारा सेवानिवृत्त होंगे ।"

5. **Appointment of Mr M V Gowtama as Director**

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution as an **Ordinary Resolution :**

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 152 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder Mr M V Gowtama (DIN: 07628039), who was appointed as the Chairman & Managing Director, by the Govt. of India vide Ministry of Defence letter No.19(8)/2015/D(BEL) dated 8 November 2016 and subsequently appointed as an Additional Director and designated as Chairman & Managing Director by the Board of Directors with effect from 8 November 2016 to hold office until the date of this Annual General Meeting, in terms of Section 161 of the Companies Act, 2013, and in respect of whom the Company has received a notice in writing from a member under Section 160 of the Companies Act, 2013 signifying his intention to propose Mr M V Gowtama (DIN: 07628039) as a candidate for the office of a Director of the Company, be and is hereby appointed as Director of the Company, not liable to retire by rotation, on terms & Conditions as stipulated by the Government of India".

6. **निदेशक के रूप में श्री आर एन बग्दलकर की नियुक्ति**

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधन (संशोधनों) के साथ या उनके बिना, **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करने हेतु -

"संकल्प किया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के संदर्भ में श्री आर एन बग्दलकर (डीआईएन-07715648), जिन्हें कंपनी की इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक नियुक्त करने के लिए कंपनी अधिनियम 2013, की धारा 152 तथा अन्य प्रयोज्य प्रावधान, यदि कोई हो, तो उस नियम के अधीन भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय का पत्र सं. 19/10/2015-नि(बीईएल) दिनांक 23 जनवरी 2017 द्वारा निदेशक (मानव संसाधन) तथा दिनांक 23 जनवरी 2017 से प्रभावी होते हुए अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और निदेशक (मानव

6. **Appointment of Mr R N Bagdalkar as Director**

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution as an **Ordinary Resolution :**

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 152 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder Mr R N Bagdalkar (DIN: 07715648), who was appointed as the Director (Human Resources), by the Govt. of India vide Ministry of Defence letter No.19/10/2015-D(BEL) dated 23 January 2017 and subsequently appointed as an Additional Director and designated as Director (Human

संसाधन) के रूप में पदधारित किया गया तथा श्री आर एन बग्दलकर (डीआईएन-07715648) को कंपनी के निदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए प्रस्ताव के साथ कंपनी के एक सदस्य द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के तहत, लिखित सूचना प्राप्त हुई है, वे भारत सरकार द्वारा निर्धारित निबंधन एवं शर्तों पर पुनरावर्तन द्वारा सेवानिवृत्त होंगे ।"

Resources) by the Board of Directors with effect from 23 January 2017 to hold office until the date of this Annual General Meeting, in terms of Section 161 of the Companies Act, 2013, and in respect of whom the Company has received a notice in writing from a member under Section 160 of the Companies Act, 2013 signifying his intention to propose Mr R N Bagdalkar (DIN: 07715648), as a candidate for the office of a Director of the Company, be and is hereby appointed as Director of the Company, liable to retire by rotation, on terms & Conditions as stipulated by the Government of India".

7. **लागत लेखा परीक्षक के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन**

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधनों के साथ या उनके बिना, **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करने हेतु -

"संकल्प किया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 तथा अधिनियम के अन्य प्रयोज्य प्रावधान, यदि कोई हो, तो उसके अधीन बनाए गए नियमों के साथ पढ़ा जाना है (वर्तमान में उसमें किए गए किसी संशोधन (संशोधनों) या पुन:प्रवर्तन सहित), की तुलना में, 31 मार्च 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लागत अभिलेखों की लेखापरीक्षा करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा लागत लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त मे. जीएनवी एंड एसोसिएट्स, लागत लेखाकार, बेंगलूर (फर्म पंजीकरण सं. 000150) को ₹ 350,000 (रुपए तीन लाख पचास हज़ार मात्र) के पारिश्रमिक तथा प्रयोज्य कर का भुगतान एवं फुटकर व्ययों की प्रतिपूर्ति हेतु कंपनी की सहमति एतद्वारा प्रदान की जाती है ।"

7. **Ratification of remuneration of the Cost Auditor.**

To consider and if thought fit, to pass, with or without modifications, the following resolution as an **Ordinary Resolution :**

"RESOLVED THAT pursuant to Section 148 and other applicable provisions, if any of Companies Act, 2013 read with the relevant Rules there under, (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force), consent of the Company be and is hereby accorded for the payment of remuneration of ₹ 350,000/- (Rupees three lakhs fifty thousand only) plus applicable tax and reimbursement of out of pocket expenses to M/s GNV & Associates, Cost Accountants, Bengaluru (Firm Registration No. 000150) appointed by the Board of Directors of the Company as Cost Auditors to conduct the audit of cost records of the Company for the financial year ending on 31 March 2018."

8. **बोनस शेयरों को जारी करने के लिए अनुमोदन**

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधन (संशोधनों) के साथ या उनके बिना, **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करने हेतु -

"संकल्प किया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 63 के प्रावधानों तथा अन्य लागू प्रावधान, जिन्हें कंपनी (शेयर पूँजी और ऋणपत्र) नियम, 2014 (सांविधिक संशोधन (संशोधनों) या उनके पुन:प्रवर्तन, जो वर्तमान में लागू हैं, सहित) के नियम 14 के साथ पढ़ा जाना है, के अनुसार, और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के विनियमों तथा दिशा-निर्देशों की शर्त पर तथा यथा प्रयोज्य विनियामक प्राधिकारियों की सहमति शामिल हैं, तथा कंपनी के संस्था के अंतर्नियम के तत्संबंधी प्रावधानों तथा कंपनी के निदेशक मंडल (जिसे यहाँ इसके बाद 'मंडल' कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में मंडल द्वारा उसकी ओर से विधिवत् गठित या प्राधिकृत निदेशकों की समिति को शामिल माना जाएगा) की सिफारिशों के तारतम्य में, तथा इस संबंध में यथा आवश्यक अनुमति, मंजूरी और अनुमोदनों की शर्त पर, कंपनी के विद्यमान ईक्विटी शेयरों को धारित करने वाले सदस्य जिनके नाम मंडल द्वारा इस संबंध में तय की गई रिकार्ड तारीख को नेशनल सेक्योरिटीज़ डिपाज़िटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) तथा सेंट्रल डिपोज़िटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) से यथा

8. **Approval for the issue of Bonus Shares**

To consider and if thought fit, to pass, with or without modification(s), the following resolution as an **Ordinary Resolution :**

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 63 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013, read with Rule 14 of the Companies (Share Capital & Debentures) Rules, 2014 (including any statutory modifications or re-enactment thereof for the time being in force) and subject to the regulations and guidelines issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI), and consent of applicable regulatory authorities as may be required and pursuant to the relevant provisions of Articles of Association of the Company and the recommendation of the Board of Directors of the Company (hereinafter referred to as 'the Board', which expression shall be deemed to include a Committee of Directors duly constituted or authorised by the Board in this behalf), and subject to such permissions, sanctions and approvals as may be necessary in this regard, consent

प्राप्त, सदस्यों द्वारा धारित ₹ 1 (रुपए एक मात्र) प्रत्येक के प्रत्येक 1 (एक) विद्यमान ईक्विटी शेयर के लिए ₹ 1 (रुपए एक मात्र) प्रत्येक के 2 (दो) ईक्विटी शेयर के अनुपात में यानी 1:10 के अनुपात में (दस धारित शेयर के लिए एक बोनस शेयर), कंपनी द्वारा रखे गए रजिस्टर / हिताधिकारियों की सूची में दर्शित होते हैं, को पूर्ण चुकता ईक्विटी शेयर के रूप में जारी किए जाने वाले / क्रेडिट किए जाने वाले ₹ 10 (रुपए दस मात्र) प्रत्येक के बोनस ईक्विटी शेयरों को जारी करने के प्रयोजनार्थ, अधिकतम सीमा तक कंपनी के मुक्त प्रारक्षण तथा अधिशेष में जमा ₹ 22,33,62,793 (रुपए बाईस करोड़ तैंतीस लाख बाँसठ हजार सात सौ तिरानब्बे मात्र) के पूंजीकरण हेतु मंडल को कंपनी के सदस्यों की सहमति प्रदान की जाए और एतद्वारा प्रदान की जाती है ।

of the Members of the Company be and is hereby accorded to the Board for capitalisation to the maximum extent of ₹ 22,33,62,793 (Rupees twenty two crores thirty three lakhs sixty two thousand seven hundred and ninety three only) standing to the credit of the free reserves and surplus of the Company, as may be considered necessary by the Board, for the purpose of issuance of Bonus Equity Shares of ₹ 1 (Rupee one only) each to be issued/credited as fully paid-up Equity Shares to the holders of the existing Equity Shares of the Company, whose names appear in the Register of Members maintained by the Company/List of Beneficial Owners, as received from the National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL), on such record date as may be fixed in this regard by the Board, in the proportion of 1 (One) Equity Share of ₹ 1 (Rupee one only) each fully paid-up for every 10 (Ten) existing Equity Shares of ₹ 1 (Rupee one only) each held by the Members, i.e. in the ratio of 1:10 (one bonus share for every ten shares held).

आगे संकल्प किया गया कि बोनस शेयरों के रूप में इस प्रकार आबंटित ईक्विटी शेयर कंपनी के विद्यमान पूर्ण चुकता ईक्विटी शेयरों के साथ हर प्रकार से साथ-साथ श्रेणीकृत होंगे और कंपनी के संस्था के बहिर्नियमों और अंतर्नियमों के प्रावधानों पर निर्भर करेंगे ।

RESOLVED FURTHER THAT the Equity Shares so allotted as bonus shares shall rank pari passu in all respects with the existing fully paid up Equity Shares of the Company and shall be subject to the provisions of Memorandum and Articles of Association of the Company.

आगे संकल्प किया गया कि आबंटिती जो अपने विद्यमान ईक्विटी शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे हैं, को बोनस शेयरों के लिए कोई आबंटन पत्र जारी नहीं किए जाएँगे क्योंकि बोनस शेयर निर्धारित समय अवधि के भीतर या इस संबंध में समय-समय पर निर्धारित अवधि में उनके संबंधित डीमैट खातों में जमा किए जाएँगे ।

RESOLVED FURTHER THAT no allotment letters shall be issued to the allottees for Bonus Shares who hold their existing Equity Shares in electronic form, as Bonus Shares shall be credited to their respective demat accounts within the period prescribed or that may be prescribed on this behalf, from time to time.

आगे संकल्प किया गया कि ऐसे शेयरधारक जो अपने विद्यमान ईक्विटी शेयर को भौतिक रूप में धारित करते हैं, के लिए बोनस शेयरों के संबंध में शेयर प्रमाण-पत्र तैयार कर निर्धारित अवधि के भीतर या इस संबंध में समय-समय पर निर्धारित अवधि में भेजे जाएँगे ।

RESOLVED FURTHER THAT for the shareholders who hold their existing Equity Shares in physical form, the share certificate(s) in respect of the Bonus Shares shall be completed and thereafter be dispatched within the period prescribed or that may be prescribed on this behalf, from time to time.

आगे संकल्प किया गया कि उक्त बोनस शेयर जहाँ तक अप्रवासी भारतीय (एनआरआई), भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआईओ)/ समुद्रपार कार्पोरेट निकाय (ओसीबी) तथा कंपनी के अन्य विदेशी निवेशकों से संबंधित है, उनका जारी किया जाना और आबंटन किया जाना विदेशी मुद्रा विनिमय प्रबंध अधिनियम, 1999 तथा उसके तहत बनाए गए विनियमों के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) तथा यथा अपेक्षित एवं आवश्यक किसी अन्य विनियामक प्राधिकरण के अनुमोदन पर निर्भर करेगा ।

RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of the said Bonus Shares to the extent that they relate to Non-Resident Indians (NRIs), Persons of Indian Origin (PIO)/Overseas Corporate Bodies (OCBs) and other foreign investors of the Company, will be subject to the approval of the Reserve Bank of India (RBI) under the Foreign Exchange Management Act, 1999 and Regulations thereunder, as amended from time to time, and any other regulatory authority, as may be required & necessary.

आगे संकल्प किया गया कि स्टॉक एक्सचेंज जहाँ कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, को बोनस शेयरों का सूचीकरण का आवेदन करने के लिए तथा आबंटितियों

RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorised to apply for Listing of Bonus Shares to the

के अपने डिपोज़िटरी खातों में बोनस शेयरों को जमा करने के लिए नेशनल सेक्योरिटीज़ डिपाज़िटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) तथा सेंट्रल डिपोज़िटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) को आवश्यक आवेदन करने के लिए, तथा यहाँ प्रदत्त सभी शक्तियों या किसी एक शक्ति को उसके निदेशकों, कंपनी के कंपनी सचिव या किसी अन्य अधिकारी (अधिकारियों) को प्रत्यायोजित करने के लिए मंडल को प्राधिकृत किया जाए तथा एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है ।

आगे संकल्प किया गया कि उक्त संकल्प को लागू करने के लिए आवश्यक अन्य सभी उपाय करने के लिए तथा मंडल द्वारा अपने विवेक द्वारा जैसा उपयुक्त माना जाए बोनस शेयरों को जारी करने के अन्य सभी निबंधन व शर्तों को तय करने के लिए मंडल को प्राधिकृत किया जाए और एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है ।"

निदेशक मंडल के आदेशानुसार,
कृते **भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड**

बेंगलूरु
11 अगस्त 2017

एस श्रीनिवास
कंपनी सचिव

नोट

1. **वार्षिक सामान्य बैठक में सम्मिलित होने तथा मतदान करने के लिए पात्र सदस्य, अपना प्रतिनिधित्व करने एवं मतदान करने के लिए एक परोक्षी नियुक्त करने के लिए हकदार हैं और यह आवश्यक नहीं है कि परोक्षी कंपनी का सदस्य हो । एक परोक्षी जिन्हें मतदान करने का अधिकार है, अधिकतम 50 सदस्यों के प्रतिनिधित्व कर सकते हैं तथा उनके पास कंपनी के कुल शेयर पूंजी के 10% से अधिक धारित नहीं होना चाहिए । जो व्यक्ति कंपनी के कुल शेयर पूंजी के 10% से अधिक धारित करते हैं, उन्हें एक परोक्षी के रूप में मतदान का अधिकार होगा, बशर्ते वे किसी अन्य व्यक्ति या शेयर धारक के परोक्षी का कार्य नहीं कर सकते।**

   परोक्षी को नियुक्त करने का विलेख विधिवत पूरा करते हुए बैठक के प्रारंभ होने से 48 घंटे पहले, (18 सितंबर 2017, अपराह्न 03:30 बजे, आईएसटी को अथवा उससे पहले) कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए । वार्षिक सामान्य बैठक से संबद्ध परोक्षी प्रारूप संलग्न है।

2. बैठक में सम्मिलित होने वाले प्राधिकृत प्रतिनिधि को भेजने का आशय रखने वाले कार्पोरेट सदस्यों से अनुरोध है कि वे बैठक में उनकी ओर से भाग लेने और मतदान करने हेतु अपने प्रतिनिधि को प्राधिकृत करते हुए मंडल के संकल्प की प्रमाणित प्रति कंपनी को भेजें ।

3. यथा उपरोक्त विशिष्ट कारोबार के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 102 (1) के तारतम्य में संबंधित व्याख्यात्मक विवरण यहाँ संलग्न है और इस सूचना का भाग है।

4. अधिनियम की धारा 101 तथा कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 18 के परिप्रेक्ष्य में, वार्षिक सामान्य बैठक की यह सूचना तथा

Stock Exchanges where the shares of the Company are listed and to make necessary application with the National Securities Depository Ltd. (NSDL) and Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) for crediting the Bonus Shares to the individual Depository accounts of the allottees and to delegate all or any of its powers herein conferred to its Directors, Company Secretary or any other officer(s) of the Company.

RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorised to take all other steps as may be necessary to give effect to the aforesaid resolution and determine all other terms and conditions of the issue of bonus shares as the Board may in its absolute discretion deem fit."

By order of the Board,
For **Bharat Electronics Limited**

Bengaluru
11 August 2017

S Sreenivas
Company Secretary

NOTE

1. **A member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint a proxy to attend and vote in the meeting instead of himself/herself, and the proxy need not be a member of the Company. A person can act as a proxy on behalf of a maximum of 50 members and holding in aggregate not more than 10% of the total share capital of the Company carrying voting rights. A member holding more than 10% of the total share capital of the Company carrying voting rights may appoint a single person as proxy, provided that the person does not act as proxy for any other person or shareholder.**

   The instrument appointing the proxy, duly completed, must be deposited at the Company's registered office not less than 48 hours before the commencement of the meeting (on or before 18 September 2017, 3:30 p.m. IST). A proxy form for the AGM is enclosed.

2. Corporate members intending to send their authorized representatives to attend the meeting are requested to send a certified copy of the Board resolution to the Company or authorizing their representative to attend and vote on their behalf at the meeting.

3. Relevant Explanatory Statement pursuant to Section 102(1) of the Companies Act, 2013 (the Act), in respect of Special Business as set out above is annexed hereto and forms part of the Notice.

4. In terms of Section 101 of the Act and Rule 18 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014,

वार्षिक प्रतिवेदन सहित अन्य दस्तावेज ई-मेल द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऐसे शेयरधारकों को भेजे जा रहे हैं, जिन्होंने अपने डीमैट खातों में ई-मेल का पता दिया है ।

हालाँकि, सदस्य कृपया नोट करें कि वे अनुरोध प्राप्त करने पर, लाभ व हानि के विवरण और लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन सहित कंपनी के तुलन-पत्र तथा उसके साथ संलग्न किए जाने वाले सभी दस्तावेजों की हार्ड प्रति निःशुल्क प्राप्त करने के लिए हकदार होंगे ।

दस्तावेज भौतिक रूप में प्राप्त करने के इच्छुक सदस्य कंपनी के पंजीयक, मे. इंटीग्रेटेड रजिस्ट्री मैनेजमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड को डीमैट खाते के ब्यौरे विधिवत् देते हुए यथाशीघ्र सूचित करें । वैकल्पिक रूप से, अपने डीमैट खाते के ब्यौरे को विधिवत् उद्धत् करते हुए अनुरोध ई-मेल आईडी - irg@integratedindia.in पर ई-मेल द्वारा भेजा जा सकता है।

कंपनी इन दस्तावेजों को शेयरधारकों के अवलोकनार्थ एवं उनके द्वारा डाउनलोड करने के लिए कंपनी की वेबसाइट यानी http://www.bel-india.com पर भी उपलब्ध कराएगी। साथ ही, वार्षिक प्रतिवेदन की भौतिक प्रतियाँ कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में कार्य समय के दौरान निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगी।

5. अधिनियम की धारा 170 के अधीन अनुरक्षित निदेशकों एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के रजिस्टर तथा उनकी शेयरधारिता की पंजी, वार्षिक सामान्य बैठक के दौरान सदस्यों के निरीक्षणार्थ उपलब्ध रहेंगी।

6. इस सूचना में संदर्भित सभी दस्तावेज तथा व्याख्यात्मक विवरणी इस सूचना की तारीख से वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में प्रात: 10 बजे से लेकर अपराह्न 4 बजे तक सदस्यों के निरीक्षणार्थ उपलब्ध रहेंगी।

7. ईक्विटी शेयरों पर लाभांश, यदि बैठक में घोषित किया जाए, के लिए पात्र सदस्यों के नामों को निर्धारित करने के लिए कंपनी के सदस्यों की पंजी और शेयर अंतरण बही को दिनांक 17 अगस्त 2017 से 21 अगस्त 2017 तक (दोनों दिनों सहित) बंद रखा जाएगा ।

8. वर्ष 2016-17 हेतु अंतिम लाभांश, यदि बैठक में घोषित हो, तो घोषणा की तिथि से 30 दिनों के भीतर उन सदस्यों को प्रदेय होगा जिनके नाम यथा 16 अगस्त 2017, को कंपनी के सदस्यों की पंजी में उल्लिखित होते हैं ।

जहाँ कहीं संभव हो, कंपनी ईसीएस (इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस) द्वारा तथा अन्य मामलों में लाभांश वारंट/बैंक मांग पत्र द्वारा लाभांश का भुगतान करेगी । इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयरों के मामले में, लाभांश का भुगतान यथा 16 अगस्त 2017 को कारोबारी घण्टों की समाप्ति पर इस प्रयोजन हेतु निक्षेपकर्ताओं (एनएसडीएल तथा सीडीएसएल) द्वारा दिए गए हिताधिकारी स्वामित्व ब्यौरों के आधार पर किया जाएगा । इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्य नोट करें कि उनके संबंधित निक्षेपागार खातों के समक्ष दर्ज बैंक विवरणों का प्रयोग

this Notice of AGM and other documents including the Annual Report are being sent in electronic mode by e-mail to those shareholders who have furnished their e-mail address in their demat accounts.

However, Members may please note that they will be entitled to a hard copy of Balance Sheet of the Company and all attachments thereto, including the Statement of Profit and Loss and Auditors' Report, upon receipt of a requisition, free of cost.

Members interested to receive the documents in physical form may please give the intimation to the Company's Registrars, M/s Integrated Registry Management Services Private Limited at the earliest, duly quoting the Demat A/c details. Alternatively, the request, duly quoting the Demat A/c details, may be sent by email at e-mail ID: irg@integratedindia.in

The Company would also make available these documents on the Company's website viz. www.bel-india.com for perusal and download by the shareholders. Also, the physical copies of Annual Report would be available at the Registered Office of the Company for inspection during office hours.

5. The Register of Directors and Key Managerial Personnel and their shareholding, maintained under Section 170 of the Act, will be available for inspection by the Members at the AGM.

6. All the documents referred to in this Notice and the Explanatory Statement will be available for inspection by the Members at the Registered Office of the Company between 10.00 am and 4.00 pm on all working days from the date of this Notice upto the date of the AGM.

7. The Company's Register of Members and Share Transfer Books will be closed from 17 August 2017 to 21 August 2017 (both days inclusive) for determining the names of members eligible for dividend on Equity shares, if declared at the Meeting.

8. The Final Dividend for the year 2016-17, if declared at the Meeting, will be payable within 30 days from the date of declaration, to those members whose names appear on the Company's Register of Members as on 16 August 2017.

Company will be making the dividend payment by ECS (Electronic Clearing Services), wherever possible and by dividend warrant / Bank demand drafts in other cases. In respect of shares held in electronic form, the dividend will be paid on the basis of beneficial ownership details furnished by the Depositories (NSDL & CDSL), as at the close of business hours on 16 August 2017, for this purpose. Members holding shares in electronic form may note that bank particulars registered against

कंपनी द्वारा लाभांश के भुगतान हेतु किया जाएगा। कंपनी या इसके पंजीयक बैंक संबंधी विवरणों या बैंक आज्ञा में किसी परिवर्तन के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्यों से सीधे प्राप्त किसी अनुरोध पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं । ऐसे परिवर्तनों को सदस्यों के निक्षेपागार सहभागी को ही सूचित किया जाना है । जिन सदस्यों ने निक्षेपागार खाता खोलने के बाद अपना बैंक खाता परिवर्तित किया है और निक्षेपागार खाता खोलते समय विनिर्दिष्ट खाते के अलावा खाते में लाभांश प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे सदस्यों से अनुरोध है कि वे 31 अगस्त 2017 से पहले अपने निक्षेपागार सहभागी से अपना बैंक खाते के ब्यौरे (नौ अंकों के बैंक कूट सहित) में परिवर्तन / सुधार कर लें ।

9. वर्ष 2016-17 के दौरान, कंपनी ने अदत्त लाभांश खाते से ₹ 1,76,920 की राशि को निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आईईपीएफ) में अंतरित किया है (2008-09 के अंतिम लाभांश का ₹ 1,13,614 और वर्ष 2009-10 के अंतरिम लाभांश का ₹ 63,306)। वर्ष 2009-2010 के लिए दावा न किए गए / अदत्त लाभांश और वर्ष 2010-11 के लिए अंतरिम लाभांश वर्ष 2017-18 में निधि में अंतरित करने हेतु नियत है। इसे कार्यान्वित करने और राशि प्राप्त करने के लिए संबंधित शेयरधारकों को सूचनाएँ भेज दी गई हैं । कंपनी ने अपनी वेबसाइट www.bel-india.com में "निवेशकों के लिए सूचना" नामक एक पृथक पृष्ठ में 2007-08 से लेकर अब तक के लाभांश भुगतान के ब्यौरे तथा अदत्त लाभांश का दावा करने की मार्गदर्शी सूचना लगाई है ।

अदावी लाभांश के दावा करने के लिए इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि वे रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट से अथवा कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में कंपनी सचिव से संपर्क करें । सदस्यों से निवेदन है कि यह ध्यान में रखें कि कंपनी के अदेय लाभांश खाता में अंतरित तिथि से सात साल के भीतर अदावी लाभांश अधिनियम की धारा 124 के अधीन आईईपीएफ में अंतरित किया जाएगा । निरंतर सात वर्षों तक अदावी लाभांश के शेयरों को अधिनियम की धारा 124 तथा प्रयोज्य नियमों के अनुसार आईईपीएफ में अंतरित किया जाएगा ।

10. कंपनी के लेखों के संबंध में कोई भी सूचना प्राप्त करने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने प्रश्न, लिखित रूप में, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में ऐसे भेजें कि वे बैठक से कम से कम 7 दिनों के पहले पहुँच जाएँ ताकि अपेक्षित सूचना बैठक में उपलब्ध हो सके ।

11. सदस्यों से अनुरोध है कि वे वार्षिक प्रतिवेदन और सूचना की अपनी प्रतियाँ बैठक में साथ लेकर आएं ।

12. बैठक में सम्मिलित हो रहे सदस्यों / परोक्षियों से अनुरोध है कि वे संलग्न उपस्थिति पर्ची भरकर उसे बैठक के प्रवेश स्थल पर सुपुर्द करें ।

13. बैठक में भाग लेने वाले संयुक्त धारकों के मामले में, केवल ऐसे संयुक्त धारक जो नामों के क्रम में ऊपर होंगे, मतदान करने के हकदार होंगे ।

their respective depository accounts will be used by the Company for payment of dividend. The Company or its Registrars cannot act on any request received directly from the members holding shares in electronic form for any change of bank particulars or bank mandate. Such changes are to be advised only to the Depository Participant of the Members. Members who have changed their bank account after opening the Depository Account and want to receive dividend in an account other than the one specified while opening the Depository Account, are requested to change/ correct their bank account details (including the nine digit Bank code) with their Depository Participant, before 31 August 2017.

9. During the year 2016-17, the Company transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) an amount of ₹ 1,76,920 from the Unpaid Dividend Account (₹ 1,13,614 belongs to final dividend 2008-09 and ₹ 63,306 belongs to interim dividend 2009-10). The unclaimed/ unpaid final dividend for the year 2009-10 and interim dividend for the year 2010-11 are due for transfer to the Fund in 2017-18. Notices to this effect have been sent to the respective shareholders to enable them to claim and receive the amount. The Company has posted on its website www.bel-india.com in a separate page titled "Information for Investors" the details of dividend payment since 2007-08 onwards and guidance information for claiming unpaid dividend.

Members wishing to claim dividends that remain unclaimed are requested to correspond with the Registrar and Share Transfer Agents or the Company Secretary, at the Company's registered office. Members are requested to note that dividends that are not claimed within seven years from the date of transfer to the Company's Unpaid Dividend Account, will, as per Section 124 of the Act, be transferred to the IEPF. Shares on which dividend remains unclaimed for seven consecutive years will be transferred to the IEPF as per Section 124 of the Act, and the applicable rules.

10. Members desirous of getting any information in respect of Accounts of the Company are requested to send their queries, in writing, to the Company at the Registered Office so as to reach at least 7 days before the Meeting so that the required information can be made available at the Meeting.

11. Members are requested to bring their copies of the Annual Report and the Notice to the Meeting.

12. Members / Proxies attending the Meeting are requested to complete the enclosed Attendance Slip and deliver the same at the entrance of the meeting venue.

13. In case of joint holders attending the Meeting, only such joint holder who is higher in the order of names will be entitled to vote.

14. शेयरों को भौतिक रूप में धारित करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने पते में हुए किसी भी परिवर्तन के बारे में कंपनी के पंजीयक व अंतरण एजेंट मेसर्स इंटीग्रेटेड रिजीस्टरी मैनेजमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, 30, रमणा रेसिडेंसी, भूतल, चौथा क्रास, संपिगे रोड, मल्लेश्वरम, बेंगलूर-560003, दूरभाष 080-23460815-18, फैक्स 080-23460819 को लिखित सूचना भेजते हुए तुरंत सूचित करें । शेयरों को डीमैट रूप में धारित करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे संबंधित निक्षेपागार सहभागियों से संपर्क करें जिनके साथ उन्होंने डीमैट खाता खोला है और पते में हुए परिवर्तन को दर्ज करा लें ।

15. जो शेयरधारक अब तक शेयरों को भौतिक रूप में धारित करते हैं उन्हें यह परामर्श दिया जाता है कि वे शेयर प्रमाण-पत्रों के खो जाने/गलत स्थान पर रखे जाने/चोरी/जालसाजी से पैदा होने वाली परेशानियों से बचने के लिए अपने हित में शेयरों को डीमैट करा लें । कंपनी ने शेयरधारकों को बी ई एल के शेयरों को डीमैट कराने हेतु दोनों निक्षेपागारों अर्थात् एन एस डी एल व सी डी एस एल के साथ करार किए हैं । सदस्य इस संबंध में कृपया पंजीयक व अंतरण एजेंट, मेसर्स इंटीग्रेटेड रिजीस्टरी मैनेजमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड से संपर्क करें ।

16. कंपनी ने अपने सदस्यों को राष्ट्रीय प्रतिभूति निवेश लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा प्रदान की गई इलेक्ट्रॉनिक मतदान (ई-मतदान) सेवा सुविधा के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने की सुविधा प्रदान की है । मतपत्र के माध्यम से मतदान करने की सुविधा भी वार्षिक सामान्य बैठक में उपलब्ध कराई जाएगी और इस बैठक में भाग लेने वाले ऐसे सदस्य जिन्हें सुदूर ई-मतदान द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया है, वे इस मतपत्र द्वारा बैठक में अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे । ऐसे सदस्य जिन्होंने इस बैठक से पहले सुदूर ई-मतदान द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, वे इस बैठक में भाग ले सकते हैं लेकिन वे दोबारा मतदान करने के हकदार नहीं होंगे । ई-मतदान के अनुदेश इस नोटिस के संलग्नक में दिए गए हैं ।

सुदूरवर्ती ई-मतदान के लिए अनुदेश

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108, कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 जिसे कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) संशोधन, नियम 2015 एवं सेबी (एलओडीआर) नियम, 2015 के नियम 44 द्वारा स्थानापित किया गया है, कंपनी बुधवार, 20 सितंबर, 2017 को, अपराह्न 03.30 बजे आयोजित होने वाली 63वीं वार्षिक सामान्य बैठक आयोजित करने की सूचना में निर्धारित सभी संकल्पों पर अपने सदस्यों को सुदूर ई-मतदान द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक रूप से करने की सुविधा सहर्ष प्रदान करती है । कंपनी ने सुदूर ई-मतदान सुविधा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय प्रतिभूति डिपोज़िटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की सेवाएँ प्राप्त की हैं ।

सुदूर ई-मतदान सुविधा www.evoting.nsdl.com लिंक में उपलब्ध है ।

कृपया अपने मताधिकार का प्रयोग करने से पहले नीचे मुद्रित अनुदेशों को पढ़ें ।

14. Members holding shares in physical form are requested to notify to the Company's Registrars and Transfer Agent, M/s Integrated Registry Management Services Private Limited., 30, Ramana Residency, Ground Floor, 4th Cross, Sampige Road, Malleswaram, Bengaluru - 560003, Tel. 080-23460815-18, Fax. 080-23460819 immediately any change in their address, by sending a written communication. Members who are holding shares in demat form are requested to contact the respective Depository Participants with whom they have opened the Demat Account and get the change of address recorded.

15. Members still holding shares in physical form are advised to dematerialise the shares in their own interest to avoid difficulties arising from loss/misplacement/theft/forgery of share certificates. Company has entered into agreements with both the depositories, viz. NSDL and CDSL to enable the shareholders to dematerialise BEL shares. In this connection, Members may please contact the Registrar and Transfer Agent, Integrated Registry Management Services Private Limited.

16. The Company has provided a facility to its members to exercise their votes electronically through the electronic voting (e-voting) service facilitated by the National Securities Depository Limited (NSDL). The facility for voting through ballot paper will also be made available at the AGM and members attending the AGM, who have not already cast their votes by remote e-voting shall be able to exercise their right at the AGM through ballot paper. Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may attend the AGM but shall not be entitled to cast their votes again. The instructions for e-voting are annexed to the Notice.

Instructions for remote e-voting

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013, Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, substituted by Companies (Management and Administration) Amendment, Rules 2015, and Regulation 44 of SEBI (LODR) regulations, 2015, the Company is pleased to offer remote e-voting facility to the Members to cast their votes electronically on all resolutions set forth in the Notice convening the 63rd Annual General Meeting to be held on the Wednesday, 20 September 2017 at 03:30 p.m. The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited (NSDL) to provide the remote e-voting facility.

The remote e-voting facility is available at the link www.evoting.nsdl.com

Please read the instructions printed below before exercising your vote.

ये ब्यौरे तथा अनुदेश 20 सितंबर 2017 को होने वाली 63वीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना का अभिन्न भाग बनते हैं ।

सुदूर ई-मतदान की सुविधा निम्नलिखित मतदान अवधि के दौरान उपलब्ध होगी -

सुदूर ई-मतदान का प्रारंभ	सुदूर ई-मतदान की समाप्ति
17 सितंबर 2017 को सुबह 9 :00 बजे, आईएसटी	19 सितंबर 2017 को अपराह्न 5:00 बजे, आईएसटी

सुदूर ई-मतदान के अनुदेश इस प्रकार हैं -

सुदूर ई-मतदान के चरण -

I. सदस्य जिनकी शेयरधारिता डीमटीरियलीकृत फार्म में हैं तथा जिनके ई-मेल एड्रेस कंपनी / डिपोज़िटरी सहभागी (सहभागियों) के पास दर्ज किए गए हैं, को एनएसडीएल से ई-मेल प्राप्त होगा जिसमें यूज़र-आईडी तथा पासवर्ड सूचित किए जाएँगे ।

1. ई-मेल खोलें और अपने क्लाइंट आईडी या फोलियो संख्या को पासवर्ड बनाते हुए पीडीएफ फ़ाइल अर्थात "Bharat Electronics Limited remote e-voting.pdf" खोलें । इस पीडीएफ फ़ाइल में सुदूर ई-मतदान के लिए आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड होगा । कृपया नोट करें कि यह पासवर्ड प्रारंभिक पासवर्ड/पिन है, जिसे सदस्य बदल सकते हैं ।
2. इंटरनेट ब्राउज़र खोलें और निम्नलिखित यूआरएल टाइप करें - https://www.evoting.nsdl.com
3. शेयरधारक - लॉगिन पर क्लिक करें ।
4. यदि आप सुदूर ई-मतदान करने के लिए एनएसडीएल के साथ पहले से पंजीकृत हैं, तो लॉगिन करने के लिए आप अपने विद्यमान यूज़र आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं ।

   नोट - शेयरधारकों जिन्होंने यूज़र आईडी और पासवर्ड भूल गए हो तो www.evoting.nsdl.com में उपलब्ध "Forgot User Details/ Password?" या "Physical User Reset Password?" विकल्प का उपयोग करें ।

   यदि शेयरधारक डीमैट मोड में शेयर धारित करते है, उनका यूज़र आईडी (डीपीआईडी एवं क्लाईंट आईडी) का संयोजन है ।

   यदि शेयरधारक भौतिक मोड में शेयर धारित करते है, उनका यूज़र आईडी (ईवन सं. एवं फ़ोलियो सं.) का संयोजन है ।

5. यदि आप पहली बार लॉगिंग कर रहे हैं, तो कृपया चरण (1) में बताए गए प्रारंभिक पासवर्ड के रूप में यूज़र आईडी और पासवर्ड/पिन को प्रविष्ट करें । उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करें।
6. पासवर्ड परिवर्तन का मेनु प्रकट होगा । अपनी पसंद के नए पासवर्ड से पासवर्ड/पिन बदलें जिसमें कम से कम 8 अंकों / अक्षरों का सम्मिश्रण हो । इस नए पासवर्ड को नोट कर लें। आपको सख्त अनुदेश दिया जाता है कि अपने पासवर्ड को किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय बनाए रखने पर अत्यधिक ध्यान रखें ।

These details and instructions form an integral part of the Notice for the 63rd Annual General Meeting to be held on 20 September 2017.

The remote e-voting facility will be available during the following voting period :

Commencement of remote e-voting	End of remote e-voting
17 September 2017 at 9 :00 A.M. IST	19 September 2017 at 5 :00 P.M. IST

The instructions for remote e-voting are as under :

Steps for remote e-voting :

I. Members whose shareholding is in the dematerialised form and whose e-mail addresses are registered with the Company/Depository Participants(s) will receive an e-mail from NSDL informing the User-ID and Password.

1. Open e-mail and open PDF file viz.; "Bharat Electronics Limited remote e-voting.pdf" with your Client ID or Folio No. as password. The said PDF file contains your user ID and password/PIN for remote e-voting. Please note that the password is an initial password, which the member may change.
2. Open the internet browser and type the following URL : https ://www.evoting.nsdl.com
3. Click on Shareholder - Login.
4. If you are already registered with NSDL for e-voting, then you can use your existing User ID and Password for Login.

   NOTE: Shareholders who forgot the User Details/ Password can use "Forgot User Details/Password?" or "Physical User Reset Password?" option available on www.evoting.nsdl.com.

   In case Shareholders are holding shares in demat mode, USER-ID is the combination of (DPID+ClientID).

   In case Shareholders are holding shares in physical mode, USER-ID is the combination of (Even No+Folio No).

5. If you are logging for the first time, please enter the User ID and Password as initial password/PIN noted in step (1) above. Click Login.
6. Password change menu appears. Change the password/PIN with new password of your choice with minimum 8 digits / characters or combination thereof. Note new password. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

7. सुदूर ई-मतदान का होम पेज खुलेगा । रिमोट ई-वोटिंग - एक्टिव वोटिंग साइकल्स पर क्लिक करें ।
8. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के "EVEN" (सुदूर ई वोटिंग इवेंट नंबर) को सेलेक्ट करें। नंबर प्रविष्ट करने के बाद, मताधिकार का प्रयोग करें पेज खुलेगा। अब आप मतदान कर सकते हैं।
9. मताधिकार का प्रयोग करें - पेज खुलते ही अब आप सुदूर ई-मतदान के लिए तैयार हैं ।
10. अपने पसंद का विकल्प चुनते हुए और सबमिट पर क्लिक करते हुए अपना मतदान करें। कंफर्म का मेनु आते ही उस पर क्लिक करें। कृपया नोट करें कि आपका मतदान चयनित संकल्प पर किया गया है और उसे संशोधित नहीं किया जा सकेगा।
11. कंफर्म करने के बाद, "Vote cast successfully" संदेश प्रदर्शित होगा ।
12. संस्थागत सदस्यों (यानी व्यक्ति, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) को विधिवत् प्राधिकृत हस्ताक्षरी जो मतदान करने के लिए प्राधिकृत हैं, के हस्ताक्षर के अधिप्रमाणित नमूनों के साथ-साथ संबंधित मंडल संकल्प/प्राधिकार पत्र आदि की स्कैन की गई प्रति स्क्रूटिनाइज़र को (pdf/jpg फार्मेट) gthirupal@gmail.com को तथा उसकी प्रति evoting@nsdl.co.in को ई-मेल द्वारा भेजनी है ।

II. ऐसे सदस्य जो शेयरों को डीमटीरियलीकृत रूप में धारित करते हैं जिनके ई-मेल आईडी कंपनी / डिपोज़िटरी सहभागियों के पास दर्ज नहीं हैं, ऐसे सदस्य जो शेयरों को भौतिक रूप में धारित करते हैं तथा ऐसे सदस्य जिन्होंने सूचना तथा वार्षिक प्रतिवेदन की भौतिक प्रति का अनुरोध किया है, निम्नलिखित अनुदेश नोट करें -

1. वार्षिक सामान्य बैठक के लिए उपस्थिति सूची के नीचे निम्नानुसार प्रारंभिक पासवर्ड दिया गया है -

   EVEN (सुदूर ई वोटिंग इवेंट नंबर) **यूज़र आईडी पासवर्ड**

2. अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए कृपया उपर्युक्त (I) में क्र.सं.1 से क्र.सं.12 तक के सभी चरणों का पालन करें ।

सामान्य अनुदेश

1. यदि आपको कोई प्रश्न पूछना है तो शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) तथा www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड करने योग्य भाग में उपलब्ध सदस्यों के सुदूर ई-मतदान प्रयोक्ता मैनुअल का संदर्भ लें या फ़ोन नंबर 022-24994600/1800222990 पर एनएसडीएल से संपर्क करें ।
2. सुदूर ई-मतदान वेबसाइट पर लॉगिन करने के लगातार पाँच असफल प्रयास के बाद वेबसाइट निष्क्रिय हो जाएगी । ऐसी स्थिति में, आपको पासवर्ड दोबारा सेट करने के लिए साइट में उपलब्ध "Forgot User Details/Password?" या "Physical User Reset Password?" विकल्प से आगे बढ़ना होगा ।
3. यदि आप सुदूर ई-मतदान करने के लिए एनएसडीएल में पहले से पंजीकृत हैं, तो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आप अपने विद्यमान यूज़र आईडी और पासवर्ड/पिन का इस्तेमाल कर सकते हैं ।

7. Home page of remote e-voting opens. Click on remote e-voting : Active Voting Cycles.
8. Select "EVEN" (remote E-Voting Event Number) of Bharat Electronics Limited. Once you enter the number, the Cast Vote page will open.
9. Now you are ready for remote e-voting as Cast Vote page opens.
10. Cast your vote by selecting your favored option and clicking Submit. Also click Confirm when prompted. Please note that once your vote is cast on the selected resolution, it cannot be modified.
11. Upon confirmation, the message "Vote cast successfully" will be displayed.
12. Institutional Members (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) are required to send scanned copy (pdf/jpg format) of the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorised signatory(ies) who are authorised to vote, to the Scrutinizer through e-mail to gthirupal@gmail.com with a copy marked to evoting@nsdl.co.in.

II. For Members holding shares in dematerialised form whose email IDs are not registered with the Company/Depository Participants, Members holding shares in physical form as well as those Members who have requested for a physical copy of the Notice and Annual Report, the following instructions may be noted :

1. Initial password is provided as below at the bottom of the Attendance Slip for the AGM :

   EVEN (remote E-Voting Event Number) **USER ID PASSWORD**

2. Please follow all steps from Sr. No. 1 to Sr. No. 12 in (I) above, to cast vote.

General Instructions

1. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and remote e-voting user manual for members available at the downloads section of www.evoting.nsdl.com or contact NSDL at the phone No.022-24994600/1800222990.
2. Login to the remote e-voting website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key in the correct password. In such an event, you will need to go through the "Forgot User Details/Password?" or "Physical User Reset Password?" option available on the site to reset the password.
3. If you are already registered with NSDL for remote e-voting then you can use your existing user ID and password/PIN for casting your vote.

4. आप फोलियो के यूज़र प्रोफाइल ब्यौरे में अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी अद्यतन भी कर सकते हैं जिसका इस्तेमाल भावी सम्प्रेषण भेजने के लिए किया जा सकता है ।
5. सुदूर ई-मतदान की अवधि 17 सितंबर, 2017 (सुबह 9:00 बजे) शुरू होगी और 19 सितंबर, 2017 (अपराह्न 5:00 बजे) समाप्त होगी । इस अवधि के दौरान, कंपनी के सदस्य जो शेयरों को भौतिक रूप में या डीमटीरियलीकृत रूप में धारित करते हैं, 13 सितंबर 2017 की निर्दिष्ट तारीख को, अपने मताधिकार का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक रूप से कर सकते हैं । उसके बाद मतदान के लिए एनएसडीएल द्वारा सुदूर ई-मतदान का मॉड्यूल निष्क्रिय कर दिया जाएगा । सदस्य द्वारा किसी संकल्प पर मतदान का प्रयोग कर लिए जाने के बाद, सदस्यों को उसे बदलने की अनुमति नहीं होगी ।
6. सदस्यों के मतदान अधिकार 13 सितंबर, 2017 की निर्दिष्ट तारीख को कंपनी की चुकता ईक्विटी शेयर पूँजी के उनके हिस्से के अनुपात में होंगे ।
7. कोई व्यक्ति जो नोटिस को भेजने के बाद कंपनी के शेयर अर्जित करते हैं और सदस्य बनते हैं और निर्दिष्ट तारीख अर्थात 13 सितंबर 2017 को शेयर धारित करते हैं, evoting@nsdl.co.in को अनुरोध भेजते हुए या एनएसडीएल के श्री राजीव रंजन को टॉल फ्री नंबर 1800222990 पर संपर्क करते हुए लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं।
8. कंपनी ने सुदूर ई-मतदान की प्रक्रिया की उचित एवं पारदर्शी ढंग से संवीक्षा के लिए श्री तिरुपाल गोरिजे, एफसीएस 6680, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव को स्क्रूटिनाइज़र नियुक्त किया है।
9. वार्षिक सामान्य बैठक में, संकल्प जिन पर मतदान किया जाना है, के बारे में चर्चा की समाप्ति पर, अध्यक्ष, स्क्रूटिनाइज़र की सहायता से ऐसे सभी सदस्यों के लिए जो उपस्थित हैं लेकिन जिन्होंने सुदूर ई-मतदान सुविधा का इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान नहीं किया है, मतपत्र के माध्यम से मतदान का आदेश देंगे ।
10. स्क्रूटिनाइज़र वार्षिक सामान्य बैठक में मतदान पूरा होने के तुरंत बाद, वार्षिक सामान्य बैठक में किए गए मतदान की गणना करेंगे और तदुपरांत कम से कम दो गवाह, जो कंपनी के नियोजन में नहीं हैं, की उपस्थिति में सुदूर ई-मतदान के माध्यम से किए गए मतदान को खोलेंगे । स्क्रूटिनाइज़र वार्षिक सामान्य बैठक की समाप्त के बाद अधिकतम तीन दिनों के भीतर, पक्ष या विपक्ष, यदि कोई हो, में डाले गए कुल मतों की समेकित स्क्रूटिनाइज़र रिपोर्ट कंपनी के अध्यक्ष को पेश करेंगे । अध्यक्ष या उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति किए गए मतदान के नतीजों की घोषणा करेंगे ।
11. अध्यक्ष या उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा नतीजों की घोषणा करने के तुरंत बाद स्क्रूटिनाइज़र की रिपोर्ट के साथ-साथ इन नतीजों को कंपनी के वेबसाइट, www.bel-india.com पर तथा एनएसडीएल की वेबसाइट पर लगाए जाएँगे और इसकी सूचना बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को दी जाएगी ।

4. You can also update your mobile number and e-mail id in the user profile details of the folio which may be used for sending future communication(s).
5. The remote e-voting period commences on 17 September 2017 (9:00 A.M.) and ends on 19 September 2017 (5:00 P.M.). During this period Members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialised form, as on the Cutoff date of 13 September 2017, may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently.
6. The voting rights of Members shall be in proportion to their share of the paid-up equity share capital of the Company as on the Cutoff date of 13 September 2017.
7. Any person who acquires shares of the company and becomes a member after dispatch of the notice and holding shares as on the Cutoff date i.e. 13 September 2017, may obtain the login ID and passwaord by sending a request at evoting@nsdl.co.in or contact Mr Rajiv Ranjan of NSDL at toll free no. 1800222990.
8. The Company has appointed Mr Thirupal Gorige, FCS 6680, Practicing Company Secretary as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting process in a fair and transparent manner.
9. At the AGM, at the end of the discussion on the resolutions on which voting is to be held, the Chairman shall, with the assistance of the Scrutinizer, order voting through ballot paper for all those Members who are present but have not cast their votes electronically using the remote e-voting facility.
10. The Scrutinizer shall, immediately after the conclusion of voting at the AGM, count the votes cast at the AGM and thereafter unblock the votes cast through remote e-voting in the presence of at least two witnesses not in employment of the Company. The Scrutinizer shall submit a consolidated Scrutinizer's Report of the total votes cast in favor of or against, if any, not later than three days after the conclusion of the AGM to the Chairman of the Company. The Chairman, or any other person authorized by the Chairman, shall declare the result of the voting forthwith.
11. The result, along with the Scrutinizer's Report, will be placed on the Company's website, www.bel-india.com and on the website of NSDL immediately after the result is declared by the Chairman or any other person authorised by the Chairman, and the same shall be communicated to the Bombay Stock Exchange Limited and National Stock Exchange of India Limited.

सूचना का संलग्नक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के तारतम्य में व्याख्यात्मक विवरण ।

मद सं.4 के संबंध में -

सरकार ने पत्र दिनांक 15 सितंबर 2016 द्वारा सुश्री आनंदी रामलिंगम, निदेशक (विपणन) के रूप में आगे के आदेश दिए जाने तक बीईएल के मंडल में नियुक्त किया है ।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 161 (1) तथा कंपनी की अंतर्नियमावली के अनुच्छेद 71सी के तारतम्य में, निदेशक मंडल ने सुश्री आनंदी रामलिंगम को अगली वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि तक पदधारित करने के लिए अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया है ।

तदुपरांत, कंपनी ने अधिनियम की धारा 160 के तहत सदस्यों से कंपनी के निदेशक के रूप में सुश्री आनंदी रामलिंगम की नियुक्ति का प्रस्ताव करने के अपने आशय को दर्शाते हुए लिखित सूचना और ₹ 1,00,000/- की जमा राशि प्राप्त की है ।

सुश्री आनंदी रामलिंगम के संक्षिप्त कार्य विवरण में विशिष्ट प्रकार्यात्मक क्षेत्र की प्रवीणता, कंपनी के शेयरधारण, अन्य निदेशक पद व समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता के साथ-साथ एसईबीआई (एलओडीआर) विनियमन 2015 के विनियम 36(3) के अनुसार अन्य विवरण प्रदान किए गए हैं, जो इस सूचना का अंश है।

कंपनी के कोई भी निदेशक तथा कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार, सुश्री आनंदी रामलिंगम को छोड़कर मद सं. 4 में दिए गए संकल्प में किसी भी प्रकार से संबद्ध या इच्छुक नहीं है ।

सदस्यों के अनुमोदन हेतु मंडल संकल्प को सिफारिश करता है ।

मद सं. 5 के संबंध में -

सरकार ने पत्र दिनांक 08 नवंबर 2016 द्वारा श्री एम वी गौतमा, को आगे के आदेश दिए जाने तक, बीईएल के मंडल में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है ।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 161 (1) तथा कंपनी की अंतर्नियमावली के अनुच्छेद 71सी के तारतम्य में, निदेशक मंडल ने श्री एम वी गौतमा को अगली वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि तक पदधारित करने के लिए अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया है ।

तदुपरांत, कंपनी ने अधिनियम की धारा 160 के तहत सदस्यों से कंपनी के निदेशक के रूप में श्री एम वी गौतमा के नियुक्ति का प्रस्ताव करने के अपने आशय को दर्शाते हुए लिखित सूचना और ₹ 1,00,000/- की जमा राशि प्राप्त की है ।

ANNEXURE TO THE NOTICE

EXPLANATORY STATEMENT PURSUANT TO SECTION 102 OF THE COMPANIES ACT, 2013

In respect of item No.4 :

The Government has vide its letter dated 15 September 2016 appointed Mrs Anandi Ramalingam, as Director (Marketing) on the BEL Board till further orders.

Pursuant to Section 161(1) of the Companies Act, 2013 and Article 71C of the Articles of Association of the Company, the Board of Directors appointed Mrs Anandi Ramalingam, as Additional Director, to hold office upto the date of this Annual General Meeting.

Subsequently, the Company has received notice in writing under Section 160 of the Act from a member signifying her intention to propose the appointment of Mrs Anandi Ramalingam as Director of the Company and a deposit of ₹ 100,000/- has been received along with the notice.

Brief resume of Mrs Anandi Ramalingam, inter-alia, giving nature of expertise in specific functional area, shareholding in the Company, other directorship, Membership/ Chairmanship of Committees and other particulars as per Reg. 36(3) of SEBI (LODR) regulations 2015 are provided elsewhere which forms part of this notice.

None of the Directors, Key Managerial Personnel of the Company or their relatives except Mrs Anandi Ramalingam, is in any way, concerned or interested, financially or otherwise, in the resolution set out at item No.4 of the notice of this meeting.

The Board recommends the resolution for the approval of the Members.

In respect of item No.5 :

The Government has vide its letter dated 8 November 2016 appointed Mr M V Gowtama as Chairman and Managing Director on the BEL Board till further orders.

Pursuant to Section 161(1) of the Companies Act, 2013 and Article 71C of the Articles of Association of the Company, the Board of Directors appointed Mr M V Gowtama, as Additional Director, to hold office upto the date of the next Annual General Meeting.

Subsequently, the Company has received notice in writing under Section 160 of the Act from a member signifying his intention to propose the appointment of Mr M V Gowtama as Director of the Company and a deposit of ₹ 100,000/- has been received along with the notice.

श्री एम वी गौतमा के संक्षिप्त कार्य विवरण में विशिष्ट प्रकार्यात्मक क्षेत्र की प्रवीणता, कंपनी के शेयरधारण, अन्य निदेशक पद व समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता के साथ-साथ एसईबीआई (एलओडीआर) विनियमन 2015 के विनियम 36(3) के अनुसार अन्य विवरण प्रदान किए गए हैं, जो इस सूचना का अंश है।

कंपनी के कोई भी निदेशक तथा कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार, श्री एम वी गौतमा को छोड़कर मद सं. 5 में दिए गए संकल्प में किसी भी प्रकार से संबद्ध या इच्छुक नहीं है ।

सदस्यों के अनुमोदन हेतु मंडल संकल्प को सिफारिश करता है ।

मद सं. 6 के संबंध में -

सरकार ने पत्र दिनांक 23 जनवरी 2017 द्वारा श्री आर एन बग्दलकर, निदेशक (मानव संसाधन) के रूप में आगे के आदेश दिए जाने तक बीईएल के मंडल में नियुक्त किया है ।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 161 (1) तथा कंपनी की अंतर्नियमावली के अनुच्छेद 71सी के तारतम्य में, निदेशक मंडल ने श्री आर एन बग्दलकर को अगली वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि तक पदधारित करने के लिए अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया है ।

तदुपरांत, कंपनी ने अधिनियम की धारा 160 के तहत सदस्यों से कंपनी के निदेशक के रूप में उपर्युक्त श्री नियुक्ति का प्रस्ताव करने के अपने आशय को दर्शाते हुए लिखित सूचना और ₹ 1,00,000/- की जमा राशि प्राप्त की है ।

श्री आर एन बग्दलकर के संक्षिप्त कार्य विवरण में विशिष्ट प्रकार्यात्मक क्षेत्र की प्रवीणता, कंपनी के शेयरधारण, अन्य निदेशक पद व समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता के साथ-साथ एसईबीआई (एलओडीआर) विनियमन 2015 के विनियम 36(3) के अनुसार अन्य विवरण प्रदान किए गए हैं, जो इस सूचना का अंश है।

कंपनी के कोई भी निदेशक तथा कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार, श्री आर एन बग्दलकर को छोड़कर मद सं.6 में दिए गए संकल्प में किसी भी प्रकार से संबद्ध या इच्छुक नहीं है ।

सदस्यों के अनुमोदन हेतु मंडल संकल्प को सिफारिश करता है ।

मद सं. 7 के संबंध में -

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(3) जिसे कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षकों के नियम), 2014 (नियम) के नियम 14 के साथ पढ़ा जाना है, के अनुसार, कंपनी का निदेशक मंडल लेखा परीक्षा समिति, जो लागत लेखा

Brief resume of Mr M V Gowtama, inter-alia, giving nature of expertise in specific functional area, shareholding in the Company, other directorship, Membership/ Chairmanship of Committees and other particulars as per Reg. 36(3) of SEBI (LODR) regulations 2015 are provided elsewhere which forms part of this notice.

None of the Directors, Key Managerial Personnel of the Company or their relatives except Mr M V Gowtama, is in any way, concerned or interested, financially or otherwise, in the resolution set out at item No.5 of the notice of this meeting.

The Board recommends the resolution for the approval of the Members.

In respect of item No.6 :

The Government has vide its letter dated 23 January 2017 appointed Mr R N Bagdalkar, as Director (Human Resources) on the BEL Board till further orders.

Pursuant to Section 161(1) of the Companies Act, 2013 and Article 71C of the Articles of Association of the Company, the Board of Directors appointed Mr R N Bagdalkar, as Additional Director, to hold office upto the date of this Annual General Meeting.

Subsequently, the Company has received notice in writing under Section 160 of the Act from a member signifying his intention to propose the appointment of above said person as Director of the Company and a deposit of ₹ 100,000/- has been received along with the notice.

Brief resume of Mr R N Bagdalkar, inter-alia, giving nature of expertise in specific functional area, shareholding in the Company, other directorship, Membership/ Chairmanship of Committees and other particulars as per Reg. 36(3) of SEBI (LODR) regulations 2015 are provided elsewhere which forms part of this notice.

None of the Directors, Key Managerial Personnel of the Company or their relatives except Mr R N Bagdalkar, is in any way, concerned or interested, financially or otherwise, in the resolution set out at item No.6 of the notice of this meeting.

The Board recommends the resolution for the approval of the Members.

In respect of item No.7 :

As per Section 148(3) of the Companies Act, 2013 read with Rule 14 of Companies (Audit and Auditors Rules), 2014 (the Rules) the Board of Directors of the Company shall appoint the

परीक्षक के पारिश्रमिक की भी सिफारिश करेगी, की सिफारिश पर लागत लेखा परीक्षक की नियुक्ति करेगा । इस नियम की यह आवश्यकता भी बताई गई है कि लागत लेखा परीक्षक के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन तदुपरांत सदस्यों द्वारा भी किया जाएगा ।

लेखा परीक्षा समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार, बीईएल के निदेशक मंडल ने मे. जीएनवी एंड एसोसिएट्स, लागत लेखाकार, बेंगलूरु को इस संकल्प में यथा दर्शित निबंधनों /पारिश्रमिक पर वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए कंपनी की लागत लेखा परीक्षा करने के लिए नियुक्त किया है । अधिनियम की धारा 148(3) जिसे कंपनी (लेखा परीक्षा तथा लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 14 के साथ पढ़ा जाना है, के तहत यथा अपेक्षित, निदेशक मंडल द्वारा तय किए गए लागत लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक को अनुसमर्थन के लिए सदस्यों के समक्ष पेश किया जाता है ।

कंपनी के कोई भी निदेशक तथा कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार इस बैठक की नोटिस के मद सं. 7 में दिए गए संकल्प में किसी भी प्रकार से संबद्ध या इच्छुक नहीं है ।

सदस्यों के अनुमोदन हेतु मंडल संकल्प को सिफारिश करता है ।

मद सं. 8 के संबंध में -

आपकी कंपनी के ईक्विटी शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया और बीएसई लिमिटेड में सूचीबद्ध हैं और वहां उनका लेनदेन किया जाता है । सदस्य यह जानते होंगे कि पिछले कुछ वर्षों में कंपनी का कामकाज उल्लेखनीय रुप से बढ़ा है जिससे बाज़ार में कंपनी के ईक्विटी शेयरों में रुचि अत्यधिक बढ़ी है । इसके अलावा, सामान्य आर्थिक परिवेश के सकारात्मक होने से कंपनी के शेयरों का बाज़ार मूल्य भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है । यथा 31 मार्च 2017 के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार कंपनी के कुल प्रारक्षण और अधिशेष ₹ 728,516 लाख हैं । कंपनी के प्रारक्षण और अधिशेषों की स्थिति पर विचार करते हुए तथा स्टॉक बाज़ार में कंपनी के शेयरों की तरलता में सुधार करने और छोटे निवेशकों के लिए वहनीय बनाने के उद्देश्य से, कंपनी के निदेशक मंडल ने दिनांक 10 अगस्त 2017 को हुई अपनी बैठक में 1: 10 (दस धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक बोनस शेयर) के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने की सिफारिश करने पर विचार किया ।

ऐसे पूर्ण चुकता बोनस शेयर कंपनी के उन सदस्यों को वितरित किए जाएंगे जिनके नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में या बोनस शेयरों को जारी करने के प्रयोजनार्थ आपकी कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित की जाने वाली रिकार्ड तारीख पर, अपने संबंधित डिपाज़िटरी सहभागियों के तत्संबंधी हिताधिकारी खातों में प्रकट होंगे ।

इस तरह आबंटित बोनस शेयर कंपनी के विद्यमान ईक्विटी शेयरों पर लाभांश सहित हर प्रकार से साथ-साथ श्रेणीकृत होंगे । बोनस शेयरों का प्रस्तावित इश्यू कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों तथा भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार होंगे और ऐसे अनुमोदनों की शर्त पर होंगे जो सांविधिक प्राधिकारियों की अपेक्षा अनुसार होंगे । इसके

Cost Auditor on the recommendation of the Audit Committee, which shall also recommend remuneration for the Cost Auditor. The rule also requires that the remuneration of the Cost Auditor shall be ratified by the members subsequently.

As recommended by the Audit Committee, BEL Board of Directors appointed M/s GNV & Associates, Cost Accountants, Bengaluru to conduct cost audit of the Company for the financial year 2017-18 on the terms / remuneration as indicated in the resolution. As required under Section 148(3) of the Act, read with Rule 14 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, the remuneration of the cost auditors, fixed by the Board of Directors, is placed before the members for ratification.

None of the Directors and Key Managerial Personnel of the Company or their relatives is in any way concerned or interested in the resolution set out at item No.7 of the notice of this meeting.

The Board recommends the resolution for the approval of the Members.

In respect of item No.8 :

The equity shares of your Company are listed and actively traded on the National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited. The Members may be aware that the operation of the Company has grown significantly during the last few years, which has generated considerable interest in the Company's Equity Shares in the Market. This coupled with the general positive economic environment, the market price of the Company's shares have also increased significantly. The total Reserves and Surplus of the Company as per the Audited Financial Statements as at 31 March 2017 are ₹ 728,516 lakhs. Considering the position of Reserves and Surplus of the Company, the Board of Directors of the Company at their meeting held on 10 August 2017 considered it desirable to recommend issue of Bonus Shares in the ratio of 1:10 (one bonus share for every ten shares held).

Such Fully Paid-up Bonus Shares shall be distributed to the Members of Company, whose names shall appear on its Register of Members or in the respective beneficiary account with their respective Depository Participants, on the Record Date to be determined by the Board of Directors of your Company for the purpose of issue of Bonus Shares.

The Bonus Shares so allotted shall rank pari passu in all respects including dividend with the existing equity shares of the Company. The proposed issue of Bonus Shares will be made in accordance with the provisions of Companies Act, 2013 and guidelines issued by the Securities Exchange Board

अलावा, सेबी, स्टॉक एक्सचेंज जहाँ कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, तथा / या कोई अन्य विनियामक या सांविधिक प्राधिकरण जो बोनस शेयरों के जारी करने से संबंधित हैं, द्वारा निर्धारित सभी विनियामक औपचारिकताएँ पूरी करने के लिए निदेशक मंडल / मंडल की समिति को प्राधिकृत करना ज़रूरी है ।

तदनुसार, मंडल मद सं. 8 में निर्धारित संकल्प को सदस्यों द्वारा सामान्य संकल्प के रूप में पारित करने की सिफारिश करता है ।

कोई भी निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक तथा उनके रिश्तेदार इस बैठक की नोटिस की मद सं. 8 में निर्धारित संकल्पों से किसी भी प्रकार संबंधित या इच्छुक नहीं हैं ।

सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटन आवश्यकताएं) अधिनियम, 2015 के खण्ड 36(3) के अधीन यथा अपेक्षित, नियुक्ति / पुनःनियुक्ति चाहने वाले निदेशकों की अतिरिक्त सूचनाएं

पुनः नियुक्ति

श्री नटराज कृष्णप्पा (डीआईएन 07506012), निदेशक (अन्य यूनिटें) -

श्री नटराज कृष्णप्पा, ने मई 1, 2016 को निदेशक (अन्य यूनिटें), का कार्यभार संभाला । अपनी पदोन्नति से पूर्व बीईएल- बेंगलूरु में महाप्रबंधक (मिसाइल प्रणाली) के रूप में कार्यरत थे । वर्ष 1986 में मैसूर विश्वेविद्यालय के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग से मेकेनिकल इंजीनियरी में स्नातक करने के बाद श्री नटराज कृष्णप्पा ने 1 मार्च, 1984 को बीईएल - गाज़ियाबाद में कार्यग्रहण किया। वर्ष 1986 में, उन्हें बीईएल की पंचकुला यूनिट में स्थानांतरित किया गया, जहां उन्होंने 15 वर्षों तक सेवा प्रदान की । पंचकुला यूनिट उस दौरान अपनी निर्माणी चरण में थी, और वे यूनिट में तैनात किए गए इंजीनियरों की पहली बैच में थे । उन्होंने अनेक विभागों में काम किया और विनिर्माण तथा खरीद संबंधी कार्यों के लिए उत्तरदायी रहे । उन्होंने उत्पाद ग्रुप-। का नेतृत्व किया और एक्रिप्शन उत्पादों के साथ-साथ हस्त धारित रेडियो और स्टार्स V मैनपैक रेडियो जैसे संचार उपकरणों के निर्माण में उल्लेखनीय योगदान दिया। वर्ष 2000 में, उन्हें बीईक्यूआई में सिक्स सिग्मा प्रोग्राम के लिए नामित किया गया था और तदुपरांत उन्होंने स्टार्स V रेडियो के क्रिप्टो कार्ड की रीफ्लो सोल्डरिंग प्रक्रिया के इष्टतमीकरण में परियोजना पूरी की । वर्ष 2001 में, उन्हें कार्पोरेट टॉर्क में स्थानांतरित किया गया और बीईएल की अन्य यूनिटों के लिए सिक्स सिग्मा का समन्वयक नामित किया गया । उन्होंने बीईएल में कारोबारी उत्कृष्टता की यात्रा को संस्थापित करने के लिए कार्य किया । इस अवधि के दौरान, उन्होंने संगठन में कर्मचारी तुष्टिकरण सर्वेक्षण करने के लिए मा.सं. के सलाहकारों के साथ गहनता से कार्य किया । जून, 2008 में, उन्हें आकाश मिसाइल सिस्टम के परियोजना प्रमुख के रूप में सैन्य रेडार एसबीयू को स्थानांतरित किया गया । श्री नटराज कृष्णप्पा, जो पीएमआई, यूएसए से पीएमपी हैं, ने आकाश मिसाइल सिस्टम परियोजना को निष्पादित करते समय परियोजना प्रबंधन की अवधारणाओं का सफलतापूर्वक

of India from time to time and subject to such approvals, as may be required, from the statutory authorities. Further, it is necessary to authorise the Board of Directors /Committee of the Board to complete all the regulatory formalities prescribed by SEBI, Stock Exchanges on which the shares of the Company are listed and / or any other regulatory or statutory authority in connection with the issue of Bonus Shares.

Accordingly, the Board recommends passing of the resolutions set forth in Item no. 8 as an Ordinary Resolution by the Members.

None of the Directors, Key Managerial Personnel and their relatives is in any way concerned or interested, in the resolutions set forth in Item No.8 of the Notice of this meeting.

Additional information of Directors recommended for appointment/ re-appointment as required Reg. 36(3) of SEBI (Listing obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Re-Appointment

Mr. Nataraj Krishnappa (DIN 07506012), Director (Other Units):

Mr Nataraj Krishnappa took charge as Director (Other Units) on 1 May 2016. He was GM (Missile System) at BEL-Bengaluru before his elevation. Mr Nataraj Krishnappa joined BEL-Ghaziabad on 1 March 1984, after graduating in Mechanical Engineering from the National Institute of Engineering, University of Mysore. In 1986, he was transferred to BEL's Panchkula Unit, where he put in 15 years of service. Panchkula Unit was in its formative stage and he belongs to the first batch of engineers to be posted to the unit. He has worked in various departments responsible for manufacturing and procurement functions. He headed Product Group-I and has made significant contributions to the manufacture of Communication equipment such as Handheld Radio and STARS V Manpack Radio as well as Encryption products. In the year 2000, he was nominated for the Six Sigma programme in BEQI and subsequently did a project in optimising the reflow soldering process of the Crypto Card of STARS V Radio. In 2001, he was transferred to Corporate TORQUE and nominated Six Sigma Co-ordinator for the Other Units of BEL. He worked towards institutionalising the Business Excellence journey in BEL. During this period, he also worked closely with HR consultants to conduct Employee Satisfaction Surveys in the organisation. In June 2008, he was transferred to Military Radar SBU as Project Head of Akash Missile System. Mr Nataraj Krishnappa, who is a PMP from PMI, USA, has successfully used project management concepts while executing the Akash Missile System project. He served as

इस्तेमाल किया । निदेशक (अन्य यूनिटें) के रूप में पदोन्नत होने से पहले वे बीईएल के बेंगलूरु कॉम्प्लेक्स में म.प्र. (मा.सं.) और म.प्र. (मिसाइल सिस्टम) के रूप में अपनी सेवाएँ दी थीं । एक इंजीनियर होने के अलावा, श्री नटराज कृष्णप्पा एक प्रमाणित लागत लेखाकार (आईसीडबल्यूए) भी हैं और उन्होंने अपना महाप्रबंधक का प्रोग्राम आईआईएम-बेंगलूर से पूरा किया । वे सीआईआई एक्ज़िम बैंक उत्कृष्टता पुरस्कार के मूल्यांकनकर्ता और आईएसओ 9000, आईएसओ 14000 तथा एएस 9100 के अग्रणी मूल्यांकनकर्ता भी हैं और तीन अंतर्राष्ट्रीय मूल्यांकनों के अलावा संगठन में अनेक लेखा परीक्षाएँ संचालित की है ।

निदेशकों के परस्पर संबंध का प्रकटीकरण - **शून्य**

सूचीबद्ध कंपनी (भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अलावा) में श्री नटराज कृष्णप्पा, निदेशक तथा समिति सदस्यता धारण करती हैं;

अन्य सूचीबद्ध कंपनी में निदेशक पद - **शून्य**

अन्य सूचीबद्ध कंपनी में सदस्यता/अध्यक्षता - **शून्य**

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में शेयरधारण - **शून्य**

वर्ष 2016-17 में मंडल की बैठक की उपस्थिति - अपने कार्यकाल के दौरान, आयोजित मंडल की 05 बैठकों में 05 में उपस्थिति थे ।

नियुक्ति -

सुश्री आनंदी रामलिंगम (डीआईएन 07616518), निदेशक (विपणन) -

सुश्री आनंदी रामालिंगम ने पीएसजी कॉलेज ऑफ टेकनॉलजी, कोयम्बटूर से इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनयरिंग में बीई करने के पश्चात् मार्च 1985 में बीईएल -बेंगलूरू में कार्य ग्रहण किया । अगले 20 वर्षों में, उन्होंने भारतीय सेना के लिए बीईएल और डीआरडीओ द्वारा विकसित फ्लैगशिप आर्टिलरी कॉम्बेट कमांन और नियंत्रण प्रणाली "शक्ति" तथा रक्षा मंत्री का अवार्ड जीतने वाले एआरईएन (आर्मी रेडियो इंजीनियर्ड नेटवर्क) समेत सैन्य संचार के विभिन्न क्षेत्रों के उपस्कर परीक्षण कार्यों में अनेक प्रकार का अनुभव हासिल किया। इस अवधि में शुरूआत के पहले वर्ष में ही उन्हें कार्यपालक उत्कृष्टता अवार्ड भी प्रदान किया गया था।

वर्ष 2004, में उन्हें बेंगलूरू कॉप्लेक्स स्थित सैन्य संचार एवं इलेक्ट्रानिक युद्धपद्धति एसबीयू में विपणन प्रभाग गठित करने हेतु बनाई गई टीम में शामिल किया गया। टीम ने बीईएल में पूर्व गतिशील कारोबार विकास कार्यक्रमों में अग्रणी भूमिका निभाई और धीरे-धीरे अन्य एसबीयू में प्रभावी विपणन प्रणाली स्थापित किए जाने में मदद की। वर्ष 2007, में सैन्य संचार एसबीयू में विपणन प्रमुख के तौर पर पदोन्नत किया गया, जहाँ उनकी टीम ने आदेश बही और विक्रयावर्त के क्षेत्र में विकास के मामले में कीर्तिमान स्थापित किया।

वर्ष 2010, में श्रीमती आनंदी रामालिंगम बीईएल को बहुगुणित विदेशी ओईएम हेतु एक भरोसेमंद विश्वस्तरीय सप्लाई चेन पार्टनर के रूप में स्थापित करने और बीईएल की निर्यात आदेश बही स्थिति में महत्वपूर्ण बढ़ोत्तरी करने के साथ रक्षा आफसैट्स की प्रमुख बनकर अंतरराष्ट्रीय विपणन प्रभाग (आईएमडी) में आईं।

GM (HR) and as GM (Missile System) at BEL-Bengaluru before his elevation as Director (Other Units). Mr Nataraj Krishnappa is a certified Cost Accountant (ICWA) and has done his General Management programme from IIM-Bangalore. He is also a CII EXIM Bank Excellence Award Assessor and Lead Assessor in ISO 9000, ISO 14000 & AS9100 and has carried out several audits within the organization besides three international assessments.

Disclosure of relationships between Directors inter-se : **Nil**

Listed Companies (other than Bharat Electronics Limited) in which Mr Nataraj Krishnappa holds Directorship and Committee Membership;

Directorship held in other listed Companies : **Nil**

Memberships/Chairmanship in other listed Companies : **Nil**

Shareholding in Bharat Electronics Limited : **Nil**

Attendance in Board meetings during 2016-17: During his tenure he has attended 5 Board meetings out of 5 conducted.

Appointment :

Mrs Anandi Ramalingam (DIN 07616518), Director (Marketing) :

Mrs Anandi Ramalingam joined BEL-Bangalore in March 1985 after completing her BE in Electronics and Communication Engineering from the PSG College of Technology, Coimbatore. For the next 20 years, she gained diverse experience in equipment testing working across various domains of military communication including heading testing for 'Shakti', the flagship Artillery Combat Command and Control System, developed by BEL and DRDO for the Indian Army and AREN (Army Radio Engineered Network) winning the Raksha Mantri's Award. During this period, she was also awarded the Executive Excellence Award, in the very first year of its inception.

In 2004, she was roped in as part of the team formed to set up the Marketing Division for the Military Communication & Electronic Warfare SBU at Bangalore Complex. The team pioneered proactive business development practices in BEL and gradually assisted other SBUs in establishing effective marketing systems. In 2007, she was elevated as the Marketing Head of the Military Communication SBU where her team could achieve record growth in order book and turnover.

In 2010, Mrs Anandi Ramalingam moved to the International Marketing Division (IMD) to head Defence Offsets, establishing BEL as a reliance global supply chain partner for multiple foreign OEMs and facilitating substantial growth of BEL's export order book.

दिसंबर 2014, में वे नेशनल विपणन प्रभाग में महाप्रबंधक बनीं। थोड़े समय में ही उनके नेतृत्व में बीईएल की आदेश बही स्थिति में व्यापक बढ़ोत्तरी हुई। मई 2016, में उन्होंने बीईएल बेंगलूरू में महाप्रबंधक (मिलकॉम) का पदभार संभाला और निदेशक के रूप में पदोन्नत होने तक कारोबार को आगे बढ़ाया ।

निदेशकों के परस्पर संबंध का प्रकटीकरण - **शून्य**

सूचीबद्ध कंपनी (भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अलावा) में श्रीमती आनंदी रामलिंगम, निदेशक तथा समिति सदस्यता धारण करती हैं;

अन्य सूचीबद्ध कंपनी में निदेशक पद - **शून्य**

अन्य सूचीबद्ध कंपनी में सदस्यता/अध्यक्षता - **शून्य**

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में शेयरधारण - **शून्य**

वर्ष 2016-17 में मंडल की बैठक की उपस्थिति - अपने कार्यकाल के दौरान आयोजित मंडल की एकमात्र बैठक में वे उपस्थित थीं ।

श्री एम वी गौतमा (डीआईएन - 07628039), अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक -

श्री एम वी गौतमा ने 8 नवंबर 2016 को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के रूप में अपना कार्यग्रहण किया ।

जनवरी 1983 को परिवीक्षाधीन अभियंता के रूप में बीईएल के गाज़ियाबाद यूनिट में उन्होंने अपना कार्यग्रहण किया था । प्रारंभिक तौर पर उनकी तैनाती डी व ई-रेडार प्रभाग में की गई थी जहाँ उन्होंने साईक्लोन वार्निंग रेडार की उप-प्रणाली के विकास में अपना योगदान दिया था। लगभग साढ़े तीन वर्षों में, उनकी टीम द्वारा उड़ीसा के परादीप में प्रथम साईक्लोन वार्निंग रेडार के अभिकल्प, विकास, विनिर्माण, वितरण तथा प्रवर्तन किए गए थे। इस साईक्लोन वार्निंग रेडार विकास टीम ने अनु. व वि. पुरस्कार प्राप्त किया था।

मई 1986 में हैदराबाद यूनिट पर श्री एम वी गौतमा का स्थानंतरण हुआ। उन्होंने 1998 तक हैदराबाद यूनिट में अजंता परियोजना के डी व ई, परीक्षण, प्रणाली एकीकरण, संस्थापन तथा प्रवर्तन के समूह में कार्य किया। उनकी टीम ने अजंता परियोजना के लिए, आंतरिक उच्च वोल्टेज पॉवर वितरण का विकास किया तथा तत्कालीन सीएमडी द्वारा उसकी सराहना भी की गई थी । अपने सेवाकाल के दौरान, उन्होंने हैदराबाद के जवाहरलाल नेहरू प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से प्रगत इलेक्ट्रॉनिक्स में एम.टेक पूरा किया।

1998 से 2006 तक उन्होंने भारतीय डीएलआरएल के टीओटी के साथ भारतीय नौसेना के संग्रह कार्यक्रम परियोजना में कार्य किया, उनकी टीम ने पनडुब्बियों, हेलीकॉप्टर्स, मध्यम व लंबी दूरी एयर क्राफ्ट के लिए विभिन्न ईएसएम प्रणालियों का विकास किया। उनकी टीम ने संकेत नामक लघु जहाजों के लिए आंतरिक हल्के भारवाली ईएसएम प्रणाली का भी विकास किया।

नई रक्षा प्रापण नीति के अनुसरण में प्रगामी व्यापार को ध्यान में रखते हुए 2006 में हैदराबाद यूनिट में नए डी व ई प्रभाग की स्थापना हुई तथा श्री गौतमा ने,

In December 2014, she moved to the National Marketing Division as GM. Within a short span of time, she saw to it that BEL's order book grew significantly. In May 2016, she assumed charge as GM (Milcom) at BEL-Bangalore and steered the business till her elevation as Director.

Disclosure of relationships between Directors inter-se : **Nil**

Listed Companies (other than Bharat Electronics Limited) in which Mrs Anandi Ramalingam holds Directorship and Committee Membership;

Directorship held in other listed Companies : **Nil**

Memberships/Chairmanship in other listed Companies : **Nil**

Shareholding in Bharat Electronics Limited : **Nil**

Attendance in Board meetings during 2016-17 : During her tenure she has attended 1 Board meeting out of 1 conducted.

Mr M V Gowtama (DIN : 07628039), Chairman & Managing Director :

Mr M V Gowtama has taken charge as the Chairman and Managing Director of Bharat Electronics Limited on 8 November 2016.

He joined BEL at Ghaziabad Unit in January 1983 as a Probationary Engineer. He was initially posted to the D&E-Radar Division where he contributed to the development of Receiver sub-system of Cyclone Warning Radar. In about three-and-half years, his team was able to design, develop, manufacture, deliver and commission the first Cyclone Warning Radar at Paradip in Orissa. The Cyclone Warning Radar development team won the R&D Award.

Mr Gowtama was transferred to Hyderabad Unit in May 1986. At Hyderabad Unit, he worked in the D&E, Testing, System Integration, Installation & Commissioning groups of Ajanta project till 1998. His team developed in-house the high voltage power supplies for Ajanta, which was commended by then CMD. He completed MTech in Advanced Electronics from Jawaharlal Nehru Technological University, Hyderabad, while in service.

From 1998 to 2006, he worked on the Sangraha programme of Indian Navy. With ToT from DLRL, his team developed different ESM systems for submarines, helicopters, medium and long-range aircraft. They also developed in-house a light-weight ESM system for small ships called Sanket.

A new D&E division was established in 2006 at Hyderabad Unit to address future businesses in line with the new defence

अपर महाप्रबंधक के रूप में इस डी व ई प्रभाग का नेतृत्व किया । वे उत्पाद/ उप-प्रणाली विकास, विभिन्न प्लेटफार्मों के लिए अभियांत्रीकी तथा सम्मिश्र सॉफ्टवेर के विकास हेतु सशक्त अनु. व. वि. टीमों की संस्थापना में समर्थ रहें ।

01 फरवरी 2010 को श्री एम वी गौतमा ने बीईएल कार्पोरेट कार्यालय के महाप्रबंधक (प्रौद्योगिकी योजना) का कार्यभार संभाला। तत्पश्चात, बीईएल के सीएमडी के रूप में पदोन्नत होने से पूर्व उन्होंने बीईएल-बेंगलूरू में महाप्रबंधक (मिलकॉम) तथा कार्यपालक निदेशक (मिसाइल सिस्टम) के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की ।

1983 में उन्होंने तिरूपति के श्री वेकटेश्वरा यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रॉनिक्स तथा कम्युनिकेशन में बी.टेक किया ।

निदेशकों के परस्पर संबंध का प्रकटीकरण - **शून्य**

सूचीबद्ध कंपनी (भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अलावा) में श्री एम वी गौतमा निदेशक तथा समिति सदस्यता धारण करते हैं;

अन्य सूचीबद्ध कंपनी में निदेशक पद - **शून्य**

अन्य सूचीबद्ध कंपनी में सदस्यता/अध्यक्षता - **शून्य**

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में शेयरधारण - **शून्य**

वर्ष 2016-17 में मंडल की बैठक की उपस्थिति - अपने कार्यकाल के दौरान आयोजित मंडल की एकमात्र बैठक में वे उपस्थित थे ।

श्री आर एन बग्दलकर (डीआईएन - 07715648), निदेशक (मानव संसाधन) -

मई 1983 में गुलबर्गा के एच के ई सोसाईटी इंजीनियरिंग कॉलेज (वर्तमान में पीडीए कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के नाम से प्रसिद्ध) से ईलेक्ट्रनिक्स तथा संचार में बी.ई. की पढ़ाई पूरा करने के पश्चात् मार्च 1984 में **श्री बग्दलकर** ने बीईएल- बेंगलूर में अपना कार्यभार ग्रहण किया । मई 1985 में कोर टीम के भाग के रूप में बीईएल- ईएमडी हैदराबाद में उनकी तैनाती हुई । 1987 में उन्होंने, इंस्टिट्युट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, हैदराबाद से कंप्यूटर प्रणाली में स्नातकोत्तर डिप्लोमा की उपाधि प्राप्त की ।

हैदराबाद यूनिट में, वे डी एवं ई, परीक्षण, प्रणाली एकीकरण तथा संस्थापन एवं ईलेक्ट्रनिक्स युद्धप्रणाली (ईडब्ल्यू) प्रणाली के प्रवर्तन में 27 वर्षों तक कार्यरत रहें। विभिन्न ईडब्ल्यू प्रणालियों में अपनी सेवाएं प्रदान करने के पश्चात् उन्होंने नौसेना के अत्याधुनिक आसूचना ईलेक्ट्रनिक्स युद्धप्रणाली परियोजना के प्रमुख के रूप में कार्य किया।

हैदराबाद यूनिट में डी एवं ई के प्रमुख के रूप में अपनी टीम का नेतृत्व करते हुए उन्होंने नौसेना, थलसेना तथा निर्यात के लिए विभिन्न परियोजनाएँ सफलतापूर्वक संपूर्ण कीं। उन्होंने देशीय प्रौद्योगिकी विकास मॉड्युल की पहल की जो अत्याधुनिक, ईडब्ल्यू प्रणालियों के मूलभूत निर्माण ब्लॉक्स हैं ।

procurement policy and Mr Gowtama had the opportunity to lead this D&E group as AGM. He was able to establish strong R&D teams at Hyderabad Unit for product/sub-system development, engineering for different platforms and development of complex software.

Mr M V Gowtama took over as GM (Technology Planning)/ BEL-Corporate Office, on 1 February 2010. Later he served as GM (Milcom)/BEL-Bengaluru and was Executive Director (Missile Systems)/BEL-Bengaluru till his elevation as CMD, BEL.

He completed his B. Tech in Electronics and Communications from Sri Venkateswara University College of Engineering, Tirupati, in 1983.

Disclosure of relationships between Directors inter-se : **Nil**

Listed Companies (other than Bharat Electronics Limited) in which Mr M V Gowtama holds Directorship and Committee Membership;

Directorship held in other listed Companies : **Nil**

Memberships/Chairmanship in other listed Companies : **Nil**

Shareholding in Bharat Electronics Limited : **Nil**

Attendance in Board meetings during 2016-17 : During his tenure he has attended 1 Board meeting out of 1 conducted.

Mr R N Bagdalkar (DIN :07715648), Director (Human Resources) :

Mr Bagdalkar joined BEL-Bangalore in March 1984 after completing BE in Electronics and Communications from HKE Society's Engineering College (now known as PDA College of Engineering), Gulbarga, in May 1983. He was posted to BEL-EMD Hyderabad in May 1985 as part of the core team. He completed PG Diploma in Computer Systems in 1987 from the Institute of Public Enterprise, Hyderabad.

At Hyderabad Unit, he worked for 27 years, in D&E, Testing, System Integration and installation and Commissioning of Electronic Warfare (EW) systems. After working on various EW systems, he went on to head the state-of-the-art Intelligence Electronic Warfare Project for the Indian Navy.

As Head of D&E at Hyderabad Unit, he led his team to successfully complete various projects for Navy, Army and Export. He also initiated a number of in-house technology development modules which will be basic building blocks for

उन्होंने एक सशक्ति सॉफ्टवेर टीम का गठन किया तथा इससे आज बीईएल, हैदराबाद की संपूर्ण आंतरिक सॉफ्टवेर आवश्यकताएं संपूर्ण होती हैं।

वर्ष 2013-14 के दौरान, उनके नेतृत्व में बीईएल हैदराबाद ने ₹ 550 करोड़ के विक्रयावर्त हासिल किया जोकि प्रति कर्मचारी के लिए ₹ 1 करोड़ विक्रयावर्त के रूप में परिवर्तित हुई। विगत दो वर्षों के दौरान, बीईएल-हैदराबाद का निष्पादन सुस्थिर रहा तथा आदेश बही प्रगति के पथ पर है । वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 के लिए इस यूनिट ने व्यापार निष्पादन पुरस्कार प्राप्तृ किया है।

1 जूलाई 2012 को महाप्रबंधक (प्रौद्योगिकी योजना)/बीईएल - कार्पोरेट कार्यालय के रूप में इनकी पदोन्नति हुई। नवंबर 2012 में बीईएल, हैदराबाद में महाप्रबंधक के रूप में प्रभार संभालने से पूर्व उन्होंने अल्पावधि के लिए महाप्रबंधक (प्रौद्योगिकी योजना)/बीईएल- कार्पोरेट कार्यालय के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की । 11 अगस्त, 2016 को कार्यपालक निदेशक के रूप में उनकी पदोन्नति हुई और 23 जनवरी 2017 से प्रभावी होते हुए उन्होंने निदेशक (मानव संसाधन) के रूप में कार्यग्रहण किया ।

निदेशकों के परस्पर संबंध का प्रकटीकरण - **शून्य**

सूचीबद्ध कंपनी (भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अलावा) में श्री आर एन बगदलकर निदेशक तथा समिति सदस्यता धारण करते हैं;

अन्य सूचीबद्ध कंपनी में निदेशक पद - **शून्य**

अन्य सूचीबद्ध कंपनी में सदस्यता/अध्यक्षता - **शून्य**

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में शेयरधारण - **शून्य**

वर्ष 2016-17 में मंडल की बैठक की उपस्थिति - अपने कार्यकाल के दौरान आयोजित मंडल की एकमात्र बैठक में वे उपस्थित थे ।

मंडल के आदेशानुसार,
कृते **भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड**

बेंगलूरु
11 अगस्त 2017

एस श्रीनिवास
कंपनी सचिव

futuristic EW systems. He has also built a strong software team; today, the complete software requirement of BEL-Hyderabad is met in-house.

During the year 2013-14, under his leadership, BEL-Hyderabad achieved a turnover of ₹ 550 Crores, which translated to a per employee turnover of ₹ 1 crore. During the last two years, the performance of BEL-Hyderabad has been consistent and the order book has been on the growth path. The Unit has received Business Performance Awards for 2013-14 and 2014-15.

He was elevated as General Manager (Technology Planning)/ BEL-Corporate Office on 1 July 2012. He worked as General Manager (Technology Planning)/BEL-Corporate Office for a short period before taking over as General Manager, BEL-Hyderabad in November 2012. He was promoted as Executive Director on 11 August 2016 and took over as Director (Human Resources) w.e.f. 23 January 2017.

Disclosure of relationships between Directors inter-se : **Nil**

Listed Companies (other than Bharat Electronics Limited) in which Mr R N Bagdalkar holds Directorship and Committee Membership;

Directorship held in other listed Companies : **Nil**

Memberships/Chairmanship in other listed Companies : **Nil**

Shareholding in Bharat Electronics Limited : **Nil**

Attendance in Board meetings during 2016-17 : During his tenure he has attended 1 Board meeting out of 1 conducted.

By order of the Board,
For **Bharat Electronics Limited**

Bengaluru
11 August 2017

S Sreenivas
Company Secretary

एजीएम स्थल के लिए बीएमटीसी बस

केम्पेगौड़ा बस स्टॉप से -

284 सीरीज़, 286 सीरीज़, 287 सीरीज़, 288 सीरीज़
(शिवानंद बस स्टॉप पर उतरें)

शिवाजीनगर बस डिपो से -

63 सीरीज़
(शिवानंद बस स्टॉप पर उतरें)

BMTC BUS TO AGM VENUE

From Kempegowda Bus Stop :

284 series, 286 series, 287 series, 288 series
(Alight at Shivananda Bus Stop)

From Shivajinagar Bus Depot

63 series
(Alight at Shivananda Bus Stop)

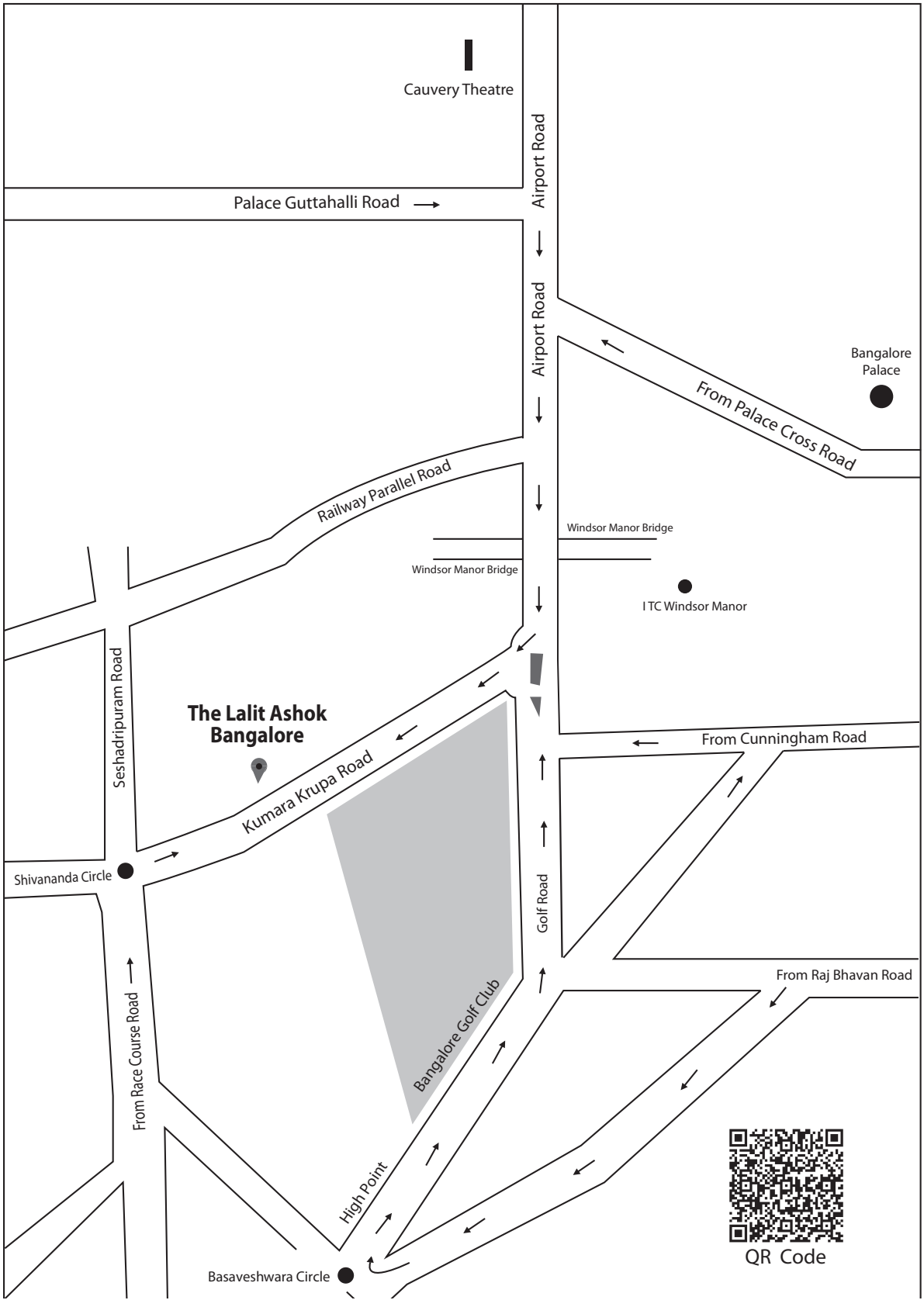
Cauvery Theatre
Airport Road
Palace Guttahalli Road
Airport Road
Bangalore Palace
From Palace Cross Road
Railway Parallel Road
Windsor Manor Bridge
Windsor Manor Bridge
I TC Windsor Manor
Seshadripuram Road
The Lalit Ashok Bangalore
From Cunningham Road
Kumara Krupa Road
Shivananda Circle
Golf Road
From Raj Bhavan Road
From Race Course Road
Bangalore Golf Club
High Point
Basaveshwara Circle
QR Code